**मध्यप्रदेश शासन**
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्र. F14-13/2020/41-2 दिनांक: 07/08/2023

प्रति,

**समस्त ज़िला कलेक्टर,**
मध्यप्रदेश

**विषय: समग्र पोर्टल पर e-KYC प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण लिंक हुए आधार को De-link करने की नवीन प्रक्रिया लागू किये जाने के संबंध में।**

-------

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं / सेवाओं के आवेदन तथा पंजीयन प्रक्रिया में हितग्राहियों एवं नागरिकों के द्वारा समग्र आई.डी. उपयोग में ली जा रही है तथा समग्र पोर्टल पर नागरिकों के समग्र आईडी में आधार e-KYC करने का प्रावधान किया गया है। नियत प्रक्रिया अनुसार नागरिकों दारा समग्र पोर्टल पर e-KYC करने के पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत / वार्ड के अधिकारियों (सचिव/GRS/वार्ड प्रभारी) द्वारा समग्र में उपलब्ध जानकारी एवं आधार से प्राप्त जानकारी का मिलान कर नागरिकों के e-KYC का सत्यापन किया जाता है।

इस प्रक्रिया के दौरान कई आवेदकों के आधार को त्रुटिवश किसी अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी पर लिंक होने / अन्य व्यक्ति का आधार आवेदक की समग्र आई.डी. पर लिंक होने के कारण एवं सम्बंधित (सचिव/GRS/वार्ड प्रभारी) अधिकारियों द्वारा उस अनुरोध को बिना ध्यान से देखे सत्यापन कर दिए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण लिंकिंग होना पाया गया है, तथा इस प्रकार की समग्र आईडी में ग़लत आधार को de-link कराने हेतु ज़िलों द्वारा पोर्टल पर व्यवस्था दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस प्रकार की त्रुटियों के सुधार को राज्य स्तर से करने की बजाय,प्रक्रिया में संशोधन कर समग्र से आधार को डीलिंक के अनुमोदन को जिला स्तर से करने के उद्देश्य से नवीन प्रक्रिया विकसित की गयी है।

आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण आधार के डिलिंक हेतु आवेदन करने से लेकर अनुमोदन करने तक की सम्पूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. नागरिक को अपने (Samagra No., Aadhar No.) के साथ संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन लॉगिन से ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा अथवा समग्र पोर्टल पर स्वयं भी delink कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ।
2. संबंधित आवेदक द्वारा मोबाइल ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से स्वयं का e-KYC सत्यापन किया जाना होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

3. आवेदक को अनुरोध आईडी (रिक्वेस्ट आईडी) पावती के रूप में प्रदान की जावेगी साथ ही आवेदक को SMS एवं WhatsApp के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
4. आवेदक का अनुरोध संबंधित स्थानीय निकाय के लॉगिन पर जांच, सत्यापन एवं अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा तथा स्थानीय निकाय द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात, उचित अनुशंसा के साथ उक्त अनुरोध को ऑनलाइन ही अपने लॉगिन से कलेक्टर लॉगिन पर भेजा जाएगा ।
5. कलेक्टर द्वारा, अनुरोध पर निकाय के माध्यम से किए गए सत्यापन, कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा की समीक्षा/निरीक्षण कर अनुमोदन प्रदान करना होगा। कलेक्टर लॉगिन पर अनुमोदन के पश्चात एक साथ कई अनुरोधों को उनके लॉगिन पर OTP के माध्यम से e-Auth (आधार ऑथेंटिकेशन) कर डीलिंक की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा । इसके पश्चात ही आधार समग्र आईडी से डीलिंक हो सकेगा।

**समग्र में आधार से डिलिंक के संबंध में कुछ ध्यान देने वाले बिंदु निम्नानुसार हैं:-**

i. कलेक्टर लॉगिन के अलावा किसी अन्य लॉगिन से इस डिलिंक प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी एवं उक्त आवेदन अन्य किसी लॉगिन पर प्रदर्शित ही नहीं होंगे।

ii. कलेक्टर लॉगिन के माध्यम से किसी समग्र आईडी पर आधार डीलिंक के अनुरोध किए जाने के पश्चात दोबारा उस समग्र आईडी पर आधार डीलिंक का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

iii. डीलिंक हेतु अनुरोध दर्ज होने से लेकर उसके निराकरण तक, समग्र API से उल्लेखित समग्र आईडी का डाटा किसी भी विभागीय पोर्टल को प्रदाय नहीं दिया जाएगा । ऐसे समग्र आईडी पर रोक लगा दी जाएगी।

iv. उक्त delinking से यदि आवेदक/हितग्राही किसी योजना/सुविधा से वंचित होता है तो यह प्रयास किया जाये कि संबंधित आवेदक/हितग्राही का आवेदन संबंधित पोर्टल पर यथासंभव करा लिया जाये।

संलग्न - Annexure-A समग्र से आधार डी-लिंक करने की विस्तृत प्रक्रिया
- Annexure-B यूज़र मैन्युअल De-link मोड्युल

Mubin

**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

क्र. F14-13/2020/41-2 **दिनांक** 07/08/2023

प्रतिलिपी:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
2. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन
3. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्वान, एम.पी.एस.ई.डी.सी

Mubin

**प्रमुख सचिव**
**मध्यप्रदेश शासन**
**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-"A"

# समग्र से आधार डी लिंक करने की विस्तृत प्रक्रिया

## Step-1: नागरिकों द्वारा आवेदन प्रक्रिया :-

1. आवेदक (A) को सबसे पहले अनुरोध का प्रकार चुनना होगा |
   i. आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटाने हेतु अनुरोध
   ii. आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध
2. आवेदक (A) को समग्र आईडी प्रविष्ट करना होगा और स्वयं के सक्रिय मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित करना होगा ।
3. इसके उपरांत आवेदक (A) को स्वयं का आधार नंबर दर्ज कर eKYC सत्यापन करना होगा । eKYC सत्यापन निम्न में से किसी एक विकल्प के माध्यम से किया जा सकेगा:
   i. मोबाइल ओटीपी
   ii. बायोमेट्रिक
4. उपरोक्त प्रकिया के पश्चात् आवेदक (A) को निम्न जानकारी दिखाई जाएगी :
   i. आवेदक (A) द्वारा दर्ज समग्र आईडी पर eKYC से पूर्व में उपलब्ध जानकारी (नाम, लिंग, जन्म तिथि मुखिया का नाम etc)
   ii. आवेदक (A) की eKYC से प्राप्त जानकारी (नाम, लिंग, जन्म तिथि etc)
   iii. त्रुटिपूर्ण eKYC के पश्चात् आवेदक (A) द्वारा दर्ज समग्र आईडी पर वर्तमान में दर्ज जानकारी ।
5. जानकारी देखने के पश्चात् आवेदक (A) द्वारा आवेदन दर्ज कर दिया जाएगा जिसका एक अनुरोध आईडी भी आवेदक (A) को SMS और WhatsApp के माध्यम से प्रदान किया जाएगा ।
6. अनुरोध को संबंधित स्थानीय निकाय के लॉगिन पर सत्यापन एवं अनुशंसा हेतु प्रदर्शित किया जाएगा ।

## Step-2: निकाय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही:

1. उपरोक्त प्रक्रिया पश्चात् अनुरोध में निम्न जानकारी निकाय लॉगिन पर निराकरण हेतु प्रदर्शित की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

i. आवेदक (A) द्वारा दर्ज समग्र आईडी पर eKYC से पूर्व में उपलब्ध जानकारी (नाम, लिंग, जन्म तिथि, मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य, निकाय, ग्राम पंचायत / जोन, ग्राम / वार्ड etc)

ii. आवेदक (A) की eKYC से प्राप्त जानकारी (नाम, लिंग, जन्म तिथि etc)

iii. त्रुटिपूर्ण eKYC के पश्चात् आवेदक (A) द्वारा दर्ज समग्र आईडी पर वर्तमान में दर्ज जानकारी (नाम, लिंग, जन्म तिथि, eKYC की दिनांक etc) ।

2. अनुमोदनकर्ता की जानकारी :

i. अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी
ii. अनुमोदनकर्ता का नाम
iii. अनुमोदनकर्ता का पदनाम
iv. अनुमोदन की तिथि और समय
v. अनुमोदनकर्ता का मोबाइल नंबर

3. यदि आवेदक द्वारा बिंदु क्र. 1.1.(i) विकल्प का चयन किया गया है तो निम्न अतिरिक्त जानकारी भी प्रदर्शित होगी -

a) यदि आवेदक (A) का आधार किसी अन्य व्यक्ति (B) की समग्र आईडी पर लिंक है तो व्यक्ति (B) की समग्र आईडी की निम्न जानकारी दिखाई जायेगी।

i. समग्र आईडी
ii. परिवार आईडी
iii. मुखिया का नाम
iv. जिला
v. निकाय
vi. ग्राम पंचायत अथवा वार्ड
vii. समग्र अनुसार पता

4. निकाय द्वारा सर्व प्रथम समस्त प्रदर्शित जानकारी देखकर यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि आवेदक (A) द्वारा दर्ज अनुरोध सही है और त्रुटिपूर्ण आधार को हटाया जाना है।

5. सिस्टम द्वारा ये जानकारी भी प्रदर्शित करायी जाएगी कि त्रुटिपूर्ण आधार लिंक होने के पश्चात आवेदक या अन्य व्यक्ति द्वारा किस सेवा अथवा योजना का लाभ लिया गया है ।

6. स्थानीय निकाय द्वारा अनुरोध के सम्बन्ध में जांच कर एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर कार्यवाही की जानकारी पत्र या नोटशीट के रूप में अनुशंसा के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगी एवं विवरण (कम से कम 20 शब्दों में) देने के

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात आवेदन को संबंधित कलेक्टर कार्यालय को पोर्टल पर ही ऑनलाइन प्रेषित कर दिया जायेगा।

**Step-3: कलेक्टर कार्यालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:**

1. कलेक्टर द्वारा लॉगिन करने के पश्चात, समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से प्रोफाइल create की जा सकेगी ।
2. प्रोफाइल create करने के लिए कलेक्टर की समग्र आईडी दर्ज कर eKYC की प्रक्रिया किया जाना होगा ।
3. कलेक्टर को ई-केवाईसी हेतु ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापित कर जानकारी दिखाई जाएगी, तत्पश्चात जानकारी को State Admin लॉगिन पर अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।
4. State Admin लॉगिन से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समग्र एवं आधार की जानकारी युक्त अनुरोध संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रेषित की गयी है। जानकारी की पुष्टि के पश्चात् स्टेट एडमिन लॉगिन के माध्यम से अनुरोध को स्वीकार कर कलेक्टर लॉगिन उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी ।
5. अनुमोदन के पश्चात, कलेक्टर द्वारा आधार डीलिंक अनुरोधों की अनुशंसा एवं की गयी कार्यवाही का निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा एवं आदेश की प्रति / नोटशीट की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ।
6. तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा आधार आधारित e-Auth (OTP अथवा बायोमेट्रिक) के माध्यम से अनुरोध का सत्यापन कर आधार को समग्र आईडी से डीलिंक कर दिया जायेगा। e-Auth एक या एक से अधिक अनुरोधों के सत्यापन हेतु किया जा सकेगा ।
7. नागरिक द्वारा त्रुटिपूर्ण e-KYC के पश्चात ली गयी शासकीय सेवा अथवा किसी योजना के लाभ की जानकारी समग्र पोर्टल के सिस्टम द्वारा संबंधित विभाग/पोर्टल को निरस्त करने हेतु प्रेषित की जाएगी ।

------

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-"B"

# आधार डी-लिंक

# यूजर मैनुअल

**A.आवेदक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया**

विकल्प 1: आवेदक द्वारा अपनी समग्र आईडी पर लिंक गलत आधार को हटाए जाने का अनुरोध

विकल्प 2 : आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध:

**B.स्थानीय निकाय हेतु डी-लिंक की प्रक्रिया**

**C.कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया**

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (MPSEDC) द्वारा विकसित

Scanned with OKEN Scanner

## आधार डीलिंक प्रक्रिया :

1. आधार डीलिंक अनुरोध समग्र पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जा सकता हैं।
2. संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आधार डीलिंक अनुरोध के अनुमोदन अथवा अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी।
3. स्थानीय निकाय द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद संबंधित अनुरोध को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए संबंधित कलेक्टर महोदय के लॉगिन में भेजा जाएगा।

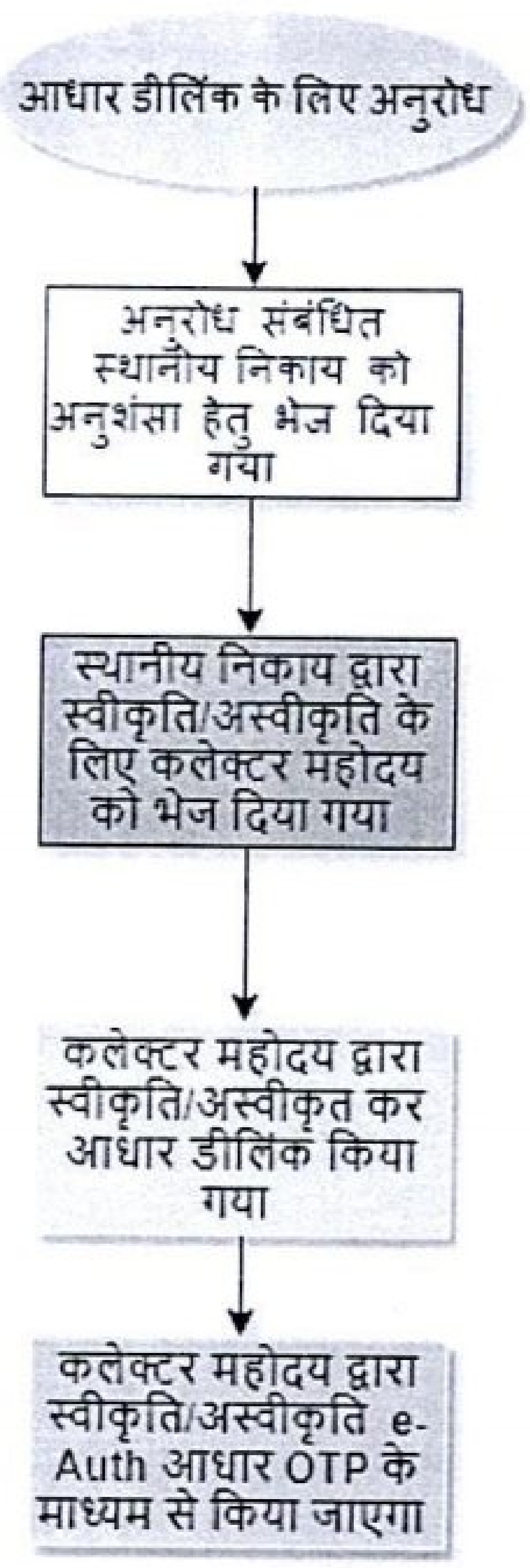

# विस्तृत प्रक्रिया:

## A.आवेदक द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया

1. आधार डी-लिंक अनुरोध समग्र पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं।

आवेदक को यूआरएल https://samagra.gov.in पर जाना होगा।

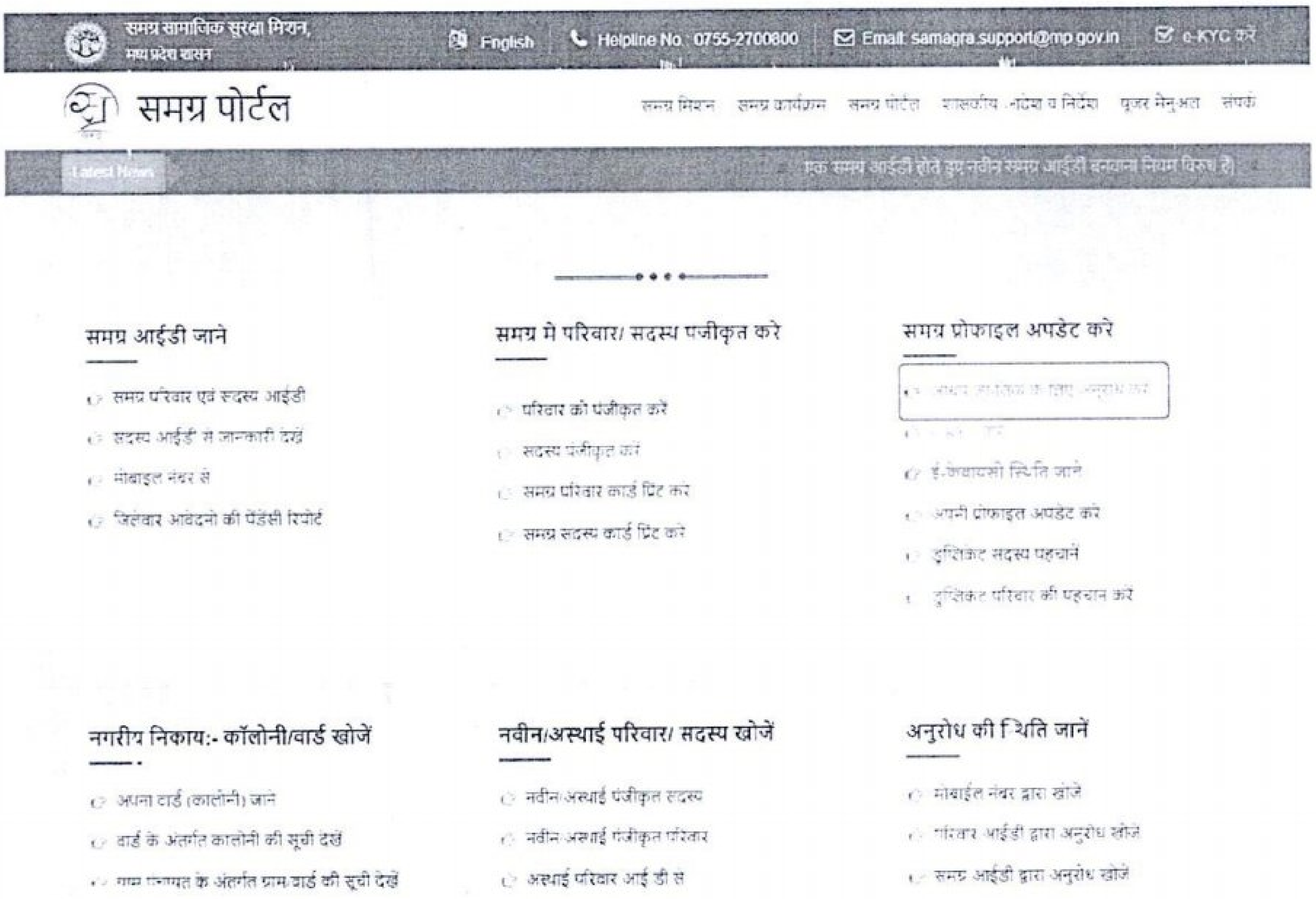


2. आधार डी-लिंक अनुरोध बटन क्लिक करने पर निम्न में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।

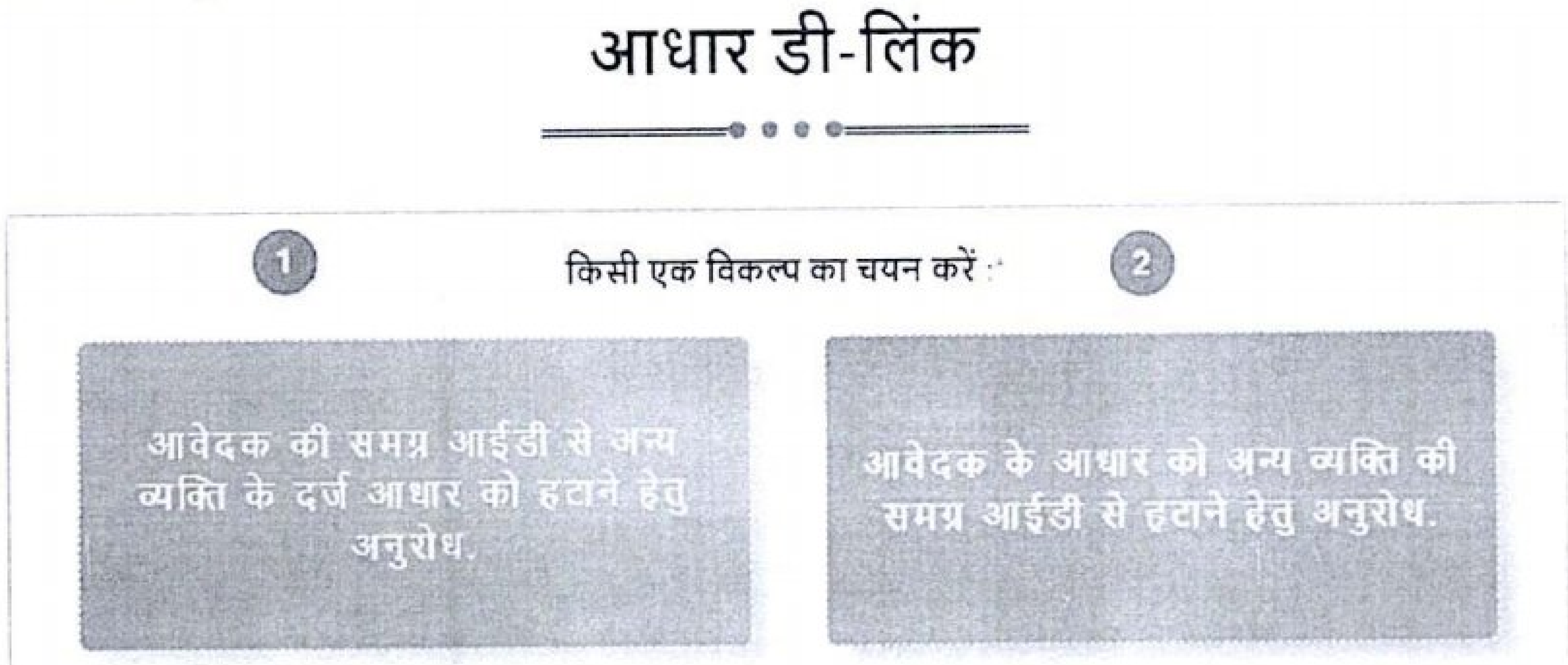

विकल्प 1: आवेदक द्वारा अपनी समग्र आईडी पर लिंक गलत आधार को हटाए जाने का अनुरोध :

**3.** विकल्प 1 पर आवेदक द्वारा अपनी समग्र आईडी पर लिंक गलत आधार को हटाए जाने का अनुरोध किया जा सकता हैं। बटन पर क्लिक करने पर निम्न जानकारी भरना होगा। आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का आधार हटाया जाना हैं और आवेदक का वर्तमान मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा। कैपचा दर्ज कर ,ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा।

आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करे जिससे अन्य व्यक्ति का लिंक आधार हटाया जाना है*

आवेदक का वर्तमान मोवाइल नंवर दर्ज करें*

x x6d

Enter the code shown above:

XX6d

ओटीपी भेजे

**4.** आवेदक के मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद <u>**"ओटीपी सत्यापित करें"**</u> बटन पर क्लिक करना होगा।

आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का लिंक आधार हटाया जाना है*

आवेदक का वर्तमान मोवाइल नंवर दर्ज करें*

Re-generate otp after : 78

qy wq

Enter the code shown above:

qywq

आपके मोवाइल पर प्राप्त ओ टी पी दर्ज करें*

ओ.टी.पी सत्यापित करें

Scanned with OKEN Scanner

# आधार डी-लिंक

महत्वपूर्ण सूचना : कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन करते समय सावधानी बरतें. गलत या किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या सत्यापन करना आधार एक्ट, २०१६ के अध्याय ६ के अनुसार दंडनीय अपराध है| ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट, २०१६ के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हज़ार दोनों दंड का प्रावधान है.

☑ मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूं कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूं।

**आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें**

............ ✔

आधार सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन करें

◉ OTP के माध्यम से ○ बायोमेट्रिक के माध्यम से

**ओटीपी का अनुरोध करें**

4. आधार सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता हैं।
   (i) OTP के माध्यम से
   (ii) बायोमेट्रिक के माध्यम से

(i) OTP के माध्यम से: आधार से ओटीपी का अनुरोध कर, ओटीपी को सत्यापित किया जा सकता हैं।

Message

OTP Sent to the Mobile No - *******

Close

Scanned with OKEN Scanner

**5.** ओटीपी सत्यापित करने पर निम्न जानकारी दिखाई जाएगी।

## आधार डी-लिंक

1.आवेदक के आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी :- +

| आधार के अनुसार फ़ोटो | आधार न. | आधार के अनुसार नाम | आधार के अनुसार जन्मतिथि | आधार के अनुसार लिंग | आधार के अनुसार पता |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

यहाँ क्लिक करें

2.आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी :- +

3.आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार सम्बंधित जानकारी :- +

4.आवेदक की समग्र आईडी पर वर्तमान में उपलब्ध जानकारी :- +

5.आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्ति/यों की समग्र आईडी :- +

मै यह घोषणा करता /करती हूँ, कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है

1.आवेदक के आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी :- +

2.आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी :- -

| समग्र के अनुसार फ़ोटो | समग्र आईडी | समग्र के अनुसार नाम | समग्र के अनुसार जन्मतिथि | समग्र के अनुसार लिंग | मुखिया से सम्बन्ध |
|---|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

3.आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार सम्बंधित जानकारी :- +

4.आवेदक की समग्र आईडी पर वर्तमान मे उपलब्ध जानकारी :- +

5.आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्ति/यों की समग्र आईडी :- +

मै यह घोषणा करता /करती हूँ, कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है

Scanned with OKEN Scanner

3.आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार सम्बंधित जानकारी :-

[illegible]

4.आवेदक की समग्र आईडी पर वर्तमान में उपलब्ध जानकारी :-

| सदस्य की फ़ोटो | समग्र आईडी | वर्तमान में सदस्य का नाम | वर्तमान में सदस्य की जन्मतिथि | वर्तमान में सदस्य का लिंग | वर्तमान में ई-केवाईसी की दिनांक | ई के-वाईसी अनुमोदनकर्ता का नाम | अनुमोदनकर्ता का जिला | अनुमोदनकर्ता का स्थानीय निकाय | अनुमोदन कर्ता का वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम | पता आधार के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 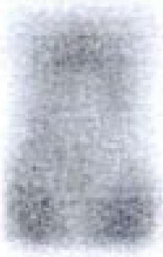 | | | | | | | | | | |

यहाँ क्लिक करें

+

5.आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्ति/यों की समग्र आईडी :-

मै यह घोषणा करता /करती हूँ कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

मै यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि त्रुटिवश मेरे समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति का आधार लिंक (EKYC) होने के पश्चात् मेरे द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार किसी योजना का लाभ अथवा सेवा नहीं ली गई है। मुझे यह भी ज्ञात है की यदि त्रुटिपूर्ण EKYC होने के पश्चात कोई योजना का लाभ अथवा सेवा ली गई है तो वह संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

5.आवेदक के आधार पर लिंक अन्य व्यक्ति/यों की समग्र आईडी :-

| फ़ोटो | आधार आईडी | समग्र सदस्य आई.डी. | समग्र अनुसार नाम | समग्र अनुसार जन्मतिथि | समग्र अनुसार लिंग | समग्र अनुसार पता |
|---|---|---|---|---|---|---|

- ✔ मैं यह घोषणा करता /करती हूँ कि उल्लेखित समग्र आईडी मेरी स्वयं की है मेरी जानकारी के अनुसार इस समग्र आईडी पर अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।
- ✔ मैं यह भी घोषणा करता /करती हूँ कि त्रुटिवश मेरे समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति का आधार लिंक (EKYC) होने के पश्चात् मेरे द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार किसी योजना का लाभ अथवा सेवा नहीं ली गई है। मुझे यह भी ज्ञात है की यदि त्रुटिपूर्ण EKYC होने के पश्चात कोई योजना का लाभ अथवा सेवा ली गई है तो वह संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित की जा सकती है।

अनुरोध दर्ज करे

6. आवेदक को जानकारी सत्यापित कर चेक बॉक्स पर क्लिक कर अनुरोध दर्ज करना होगा। अनुरोध की पावती हेतु निम्न मैसेज प्रदर्शित होगा।

**Success**

SUCCESS: Aadhaar De-link request has been saved successfully.Your request Id is 102806518 / आधार डी-लिंक अनुरोध सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी अनुरोध आईडी 102806518 है। पावती प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ें।

Close

## समग्र पोर्टल
### समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्यप्रदेश शासन

**आधार डीलिंक अनुरोध पावती**

| | | | |
|---|---|---|---|
| समग्र आईडी : | | अनुरोध आईडी : | |
| अनुरोध का प्रकार : | आवेदक की समग्र आईडी से लिंक्ड अन्य व्यक्ति का आधार हटाने हेतु अनुरोध. | अनुरोध दिनांक : | 18/07/2023 |
| आवेदक का नाम : | | समग्र परिवार आईडी : | |
| अनुरोध भेजा गया : | Nagar Nigam, BHOPAL | जिला : | BHOPAL |
| आवेदक की समग्र आई.डी. पर त्रुटिवश लिंक आधार न. : | xxxxxxx | प्रिंट दिनांक : | 18/07/2023 13:34:08 |

प्रिंट करे    होम पेज

**7.** पावती को प्रिन्ट करने के लिए **"प्रिन्ट करें"** पर क्लिक करें अन्यथा **"होम पेज"** पर क्लिक करें। आवेदक द्वारा आधार डी-लिंक अनुरोध की प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

# B.स्थानीय निकाय हेतु डी-लिंक की प्रक्रिया:

**1.** आधार डी-लिंक के अनुरोध को https://spr.samagra.gov.in पर संबंधित स्थानीय निकाय के लॉगिन पर देखा जा सकता हैं।

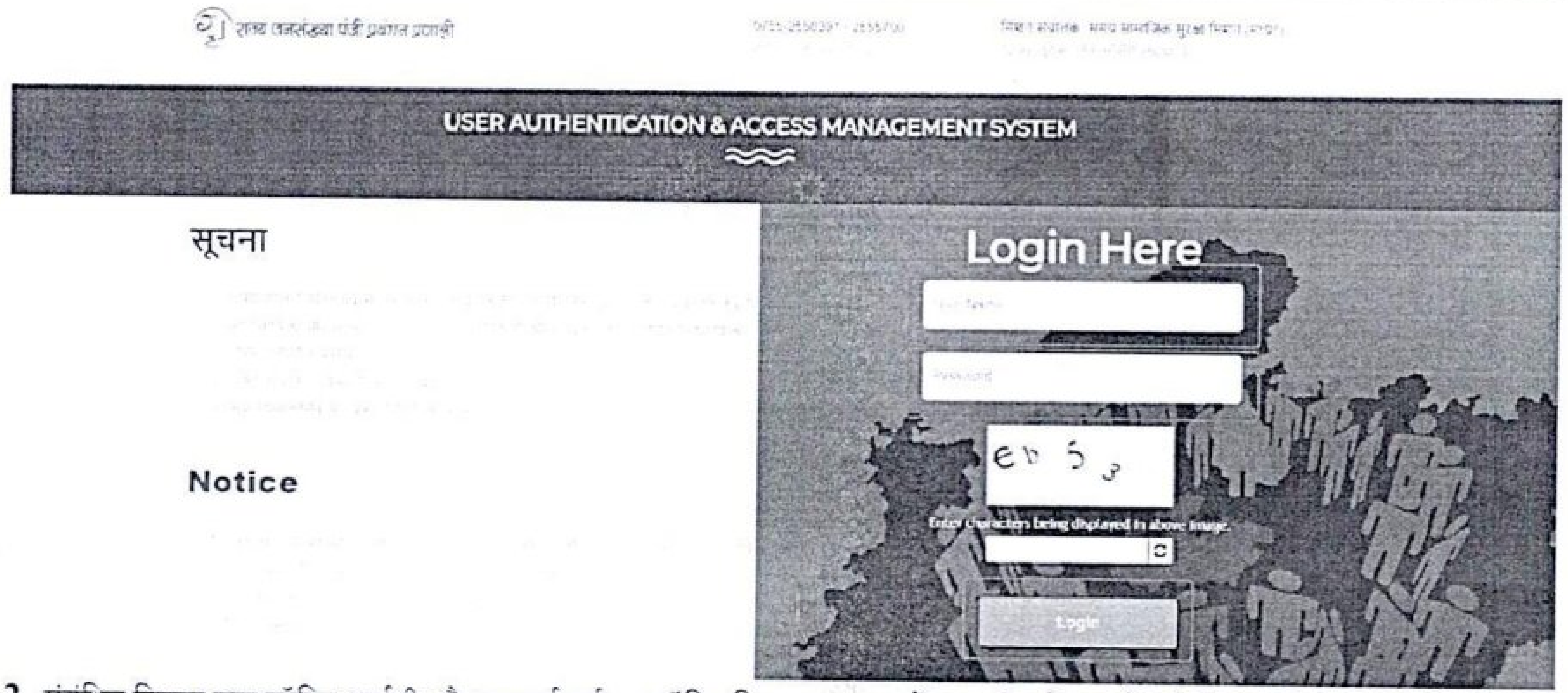


**2.** संबंधित निकाय द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता हैं। स्थानीय निकाय डेशबोर्ड पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा।

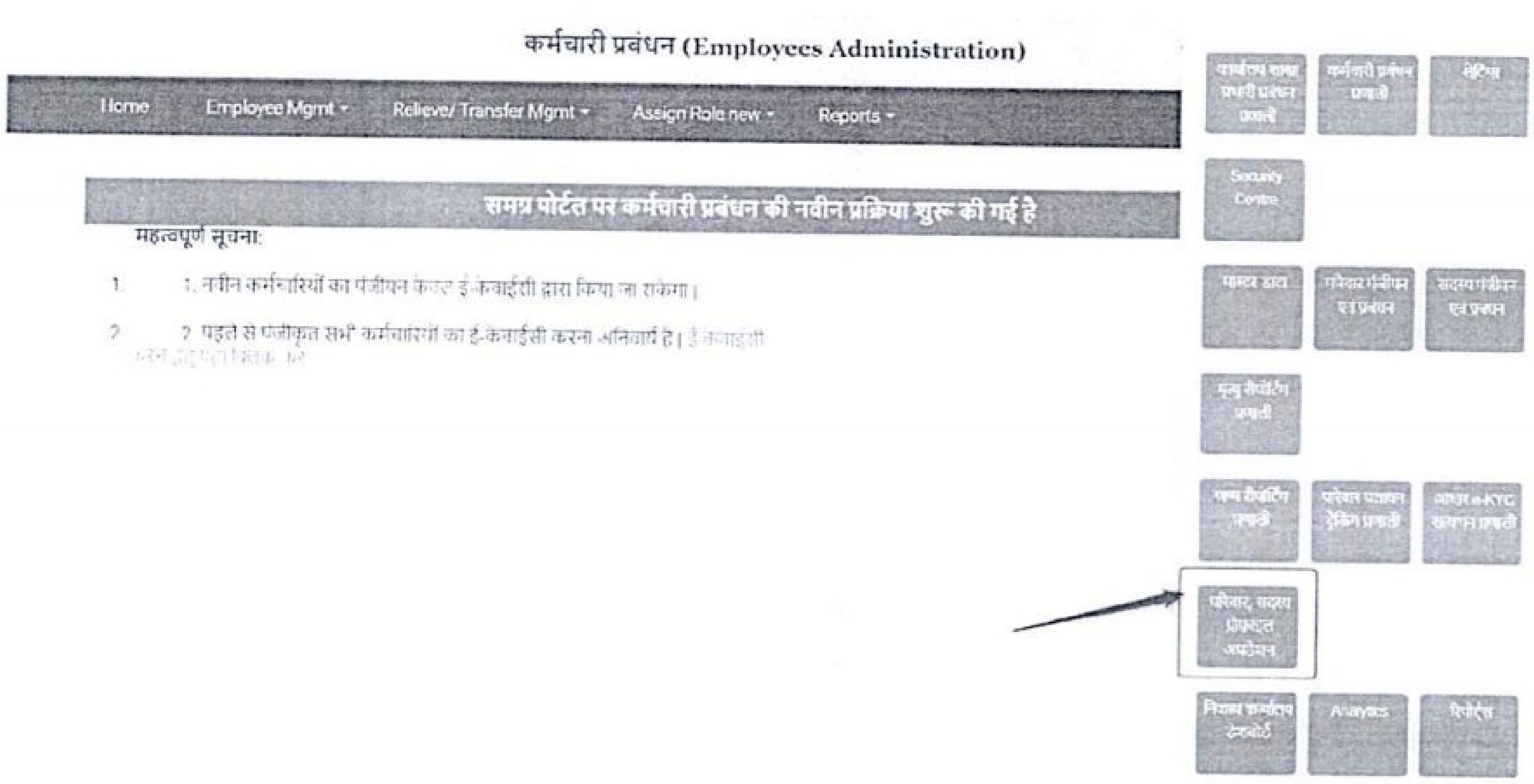


3. **परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेट** पर जाने पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा और **आधार डी-लिंक हेतु अनुरोधों की अनुशंसा** पर क्लिक कर अनुरोधों को देखा जा सकता हैं।

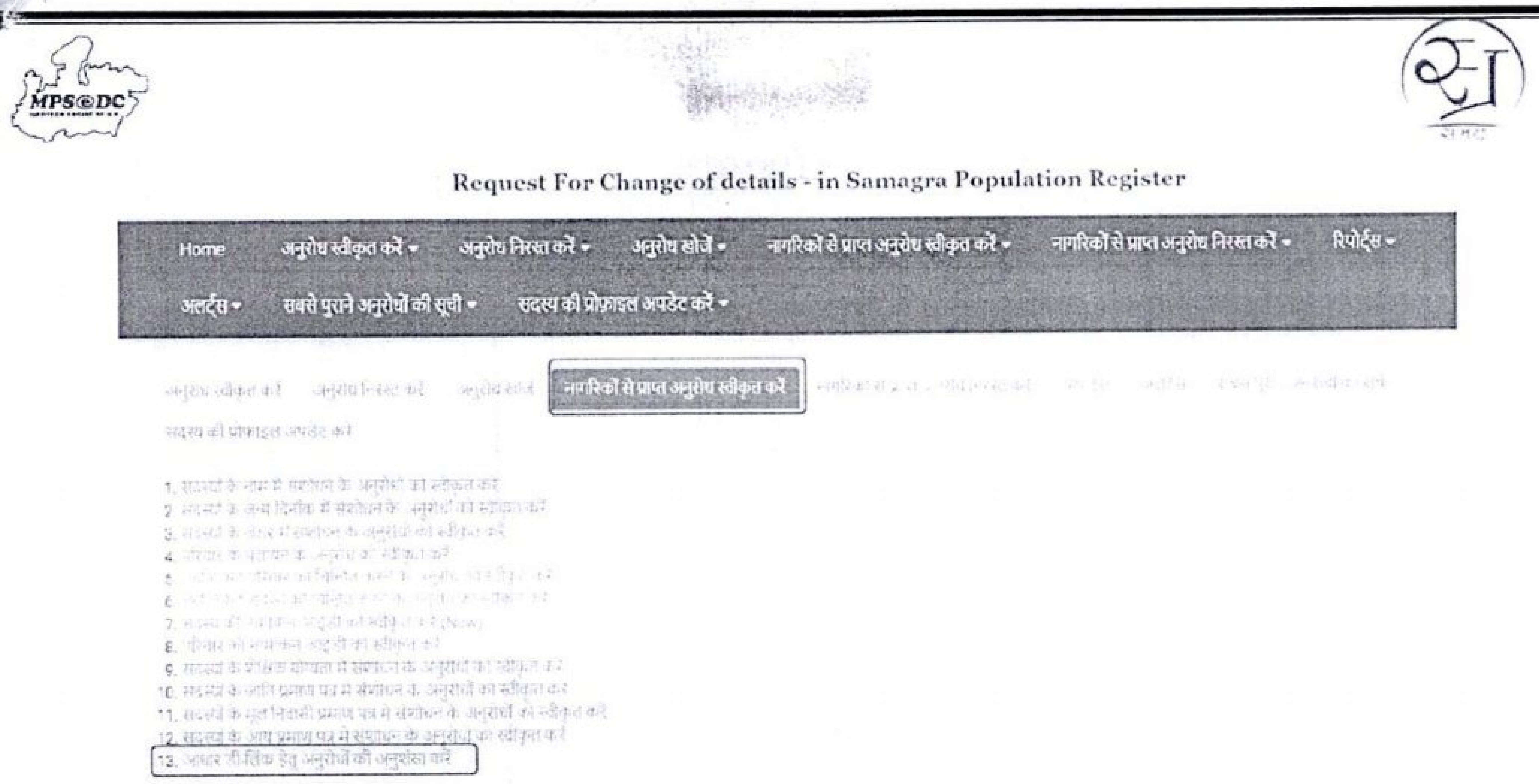


4. समग्र आईडी या अनुरोध आईडी दर्ज कर संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता है।

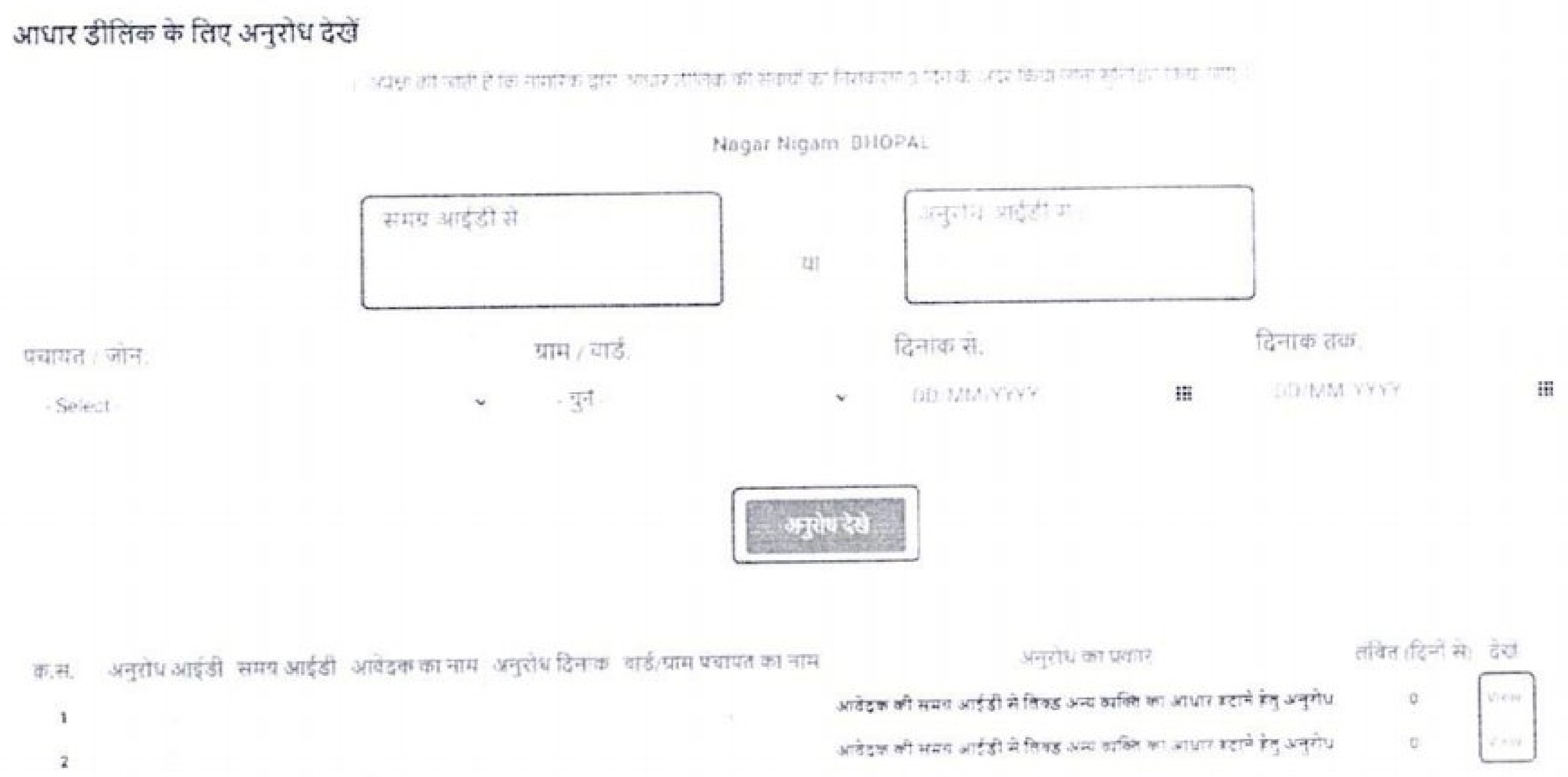


5. संबंधित अनुरोध की जानकारी View बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

## आधार डीलिंक अनुरोध का विवरण

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

| क्र.स. | शीर्षक | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी से पूर्व की जानकारी | आवेदक की ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | समग्र आईडी | | |
| 2 | नाम | | |
| 3 | जन्मतिथि | | |
| 4 | लिंग | | |
| 5 | ई-केवायसी दिनांक | | |
| 6 | पता | | |
| 7 | फ़ोटो | | |

यहाँ क्लिक करें

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी (+)

3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी -

| क्र.स. | शीर्षक | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी से पूर्व की जानकारी | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी सत्यापन के बाद जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | समग्र आई.डी. | | |
| 2 | नाम | | |
| 3 | जन्मतिथि | | |
| 4 | लिंग | | |
| 5 | ई-केवायसी दिनांक | | |
| 6 | पता | | |
| 7 | फ़ोटो | | |

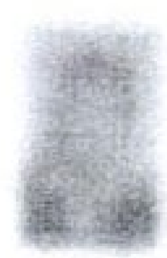

यहाँ क्लिक करें

3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी (+)

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

Scanned with OKEN Scanner

MPSeDC

## आधार डीलिंक अनुरोध का विवरण

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद की जानकारी +

3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी -

| आधार नंबर | समग्र आईडी | समग्र के अनुसार नाम | समग्र के अनुसार जन्मतिथि | समग्र के अनुसार लिंग | समग्र के अनुसार पता |
|---|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी : +

7. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें : +

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी -

| समग्र के अनुसार फ़ोटो | समग्र आईडी | समग्र के अनुसार नाम | समग्र के अनुसार जन्मतिथि | समग्र के अनुसार लिंग | मुखिया से सम्बन्ध | ई-केवायसी दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 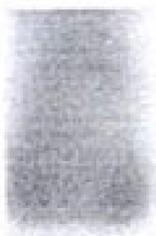 | | | | | | |

यहाँ क्लिक करें

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : +

Scanned with OKEN Scanner

MPS@DC

## आधार डीलिंक अनुरोध का विवरण

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +
2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +
3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संवंधित जानकारी +
4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संवंधित जानकारी +
5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : -

| अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी | अनुमोदनकर्ता का नाम | अनुमोदनकर्ता का मोबाईल नंबर | अनुमोदनकर्ता का पद | अनुमोदन की दिन |
|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी : (+)
7. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें : +

## आधार डीलिंक अनुरोध का विवरण

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +
2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +
3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संवंधित जानकारी +
4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संवंधित जानकारी +
5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : +
6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी : -

| समग्र आईडी | नाम | विभाग का नाम | सेवा का नाम | दिनांक |
|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

7. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें : (+)

Scanned with OKEN Scanner

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद की जानकारी +

3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी : +

7. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें : -

दस्तावेज़ अपलोड करें (त्रुटिपूर्ण उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्यवाही का विवरण नोट शीट)* Choose File pdf
केवल 1 mb तक की PDF फाइल ही अपलोड करें

कार्यवाही का विवरण *

☐ मेरे द्वारा ये प्रमाणित कर लिया गया है कि आवेदक की समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार त्रुटिवश लिंक है, जिसको हटाने हेतु आवेदक से प्राप्त अनुरोध का निरीक्षण कर जाँच उपरांत अनुशंसा की जाती है।

☐ मेरे द्वारा आवेदक को यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि आवेदक की आईडी पर त्रुटिवश अन्य व्यक्ति की eKYC होने के पश्चात् कोई योजना अथवा सेवा का लाभ लिया गया है तो वह सम्बंधित विभाग द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

6. स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित अनुरोध की जानकारी का निरीक्षण कर नीचे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक कर अनुमोदन अथवा अस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा सकती हैं।

3. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

4. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी : +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी : +

7. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें : -

दस्तावेज़ अपलोड करें (त्रुटिपूर्ण उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्यवाही का विवरण नोट शीट)* Choose File Revised Delink ...I_25062023.pdf
केवल 1 mb तक की PDF फाइल ही अपलोड करें

कार्यवाही का विवरण * hdfjkdsgjdfgjgjgbb ghhfgusghdu hsyefsyuf

☑ मेरे द्वारा ये प्रमाणित कर लिया गया है कि आवेदक की समग्र आईडी में किसी अन्य व्यक्ति का आधार त्रुटिवश लिंक है, जिसको हटाने हेतु आवेदक से प्राप्त अनुरोध का निरीक्षण कर जाँच उपरांत अनुशंसा की जाती है।

☑ मेरे द्वारा आवेदक को यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि आवेदक की आईडी पर त्रुटिवश अन्य व्यक्ति की eKYC होने के पश्चात् कोई योजना अथवा सेवा का लाभ लिया गया है तो वह सम्बंधित विभाग द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

अनुमोदन हेतु अनुशंसा | अस्वीकृति हेतु अनुशंसा

7. स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन अथवा अस्वीकृति हेतु अनुशंसा कर संबंधित कलेक्टर महोदय को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भेज दिया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

MPS©DC

## Message

SUCCESS: आधार डी-लिंक अनुरोध सम्बंधित कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है..!

Close

Scanned with OKEN Scanner

# C.कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया:

1. आधार डीलिंक के अनुरोध को https://spr.samagra.gov.in पर संबंधित कलेक्टर महोदय के लॉगिन पर देखा जा सकता हैं। लॉगिन करने के लिए यूजर का नाम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

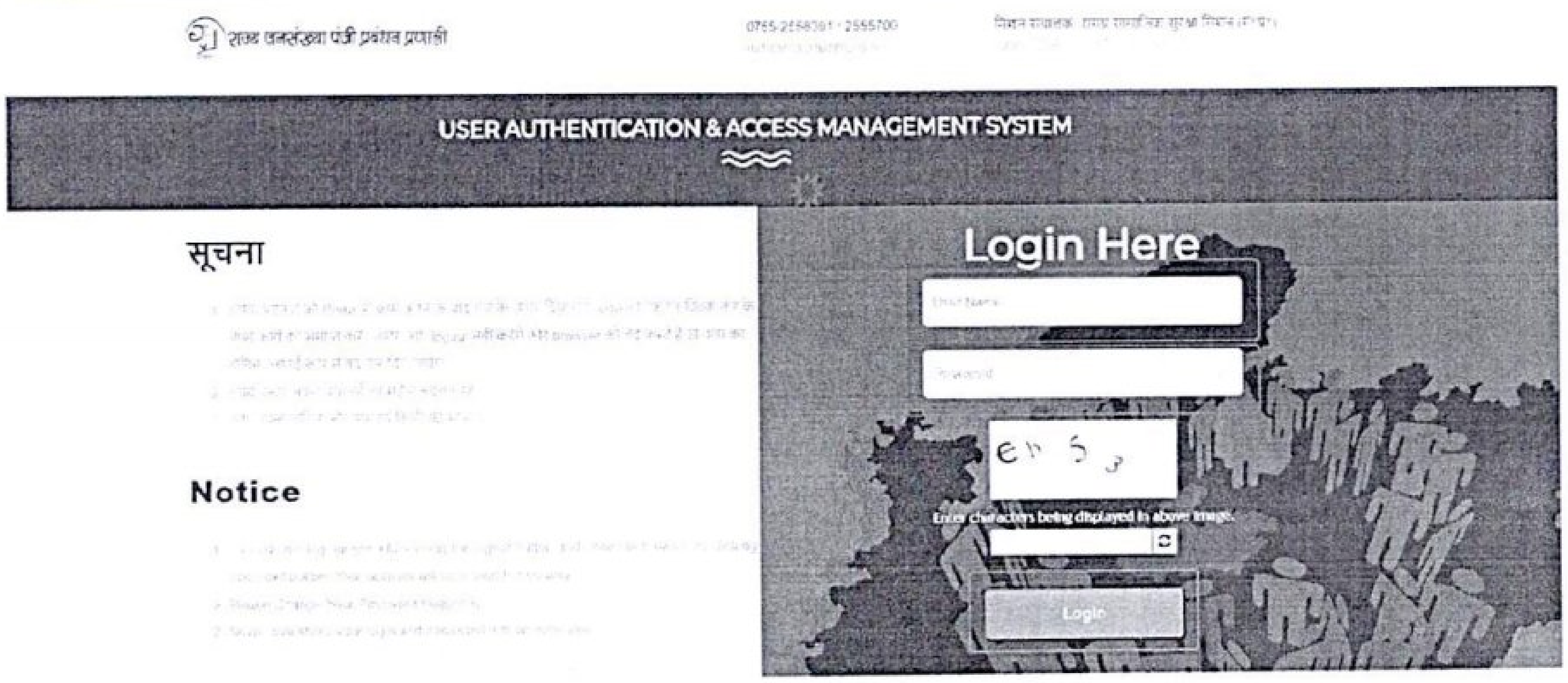


2. आधार डीलिंक के अनुरोधों को देखने के लिए नीचे दिए मेनू पर क्लिक करना होगा।

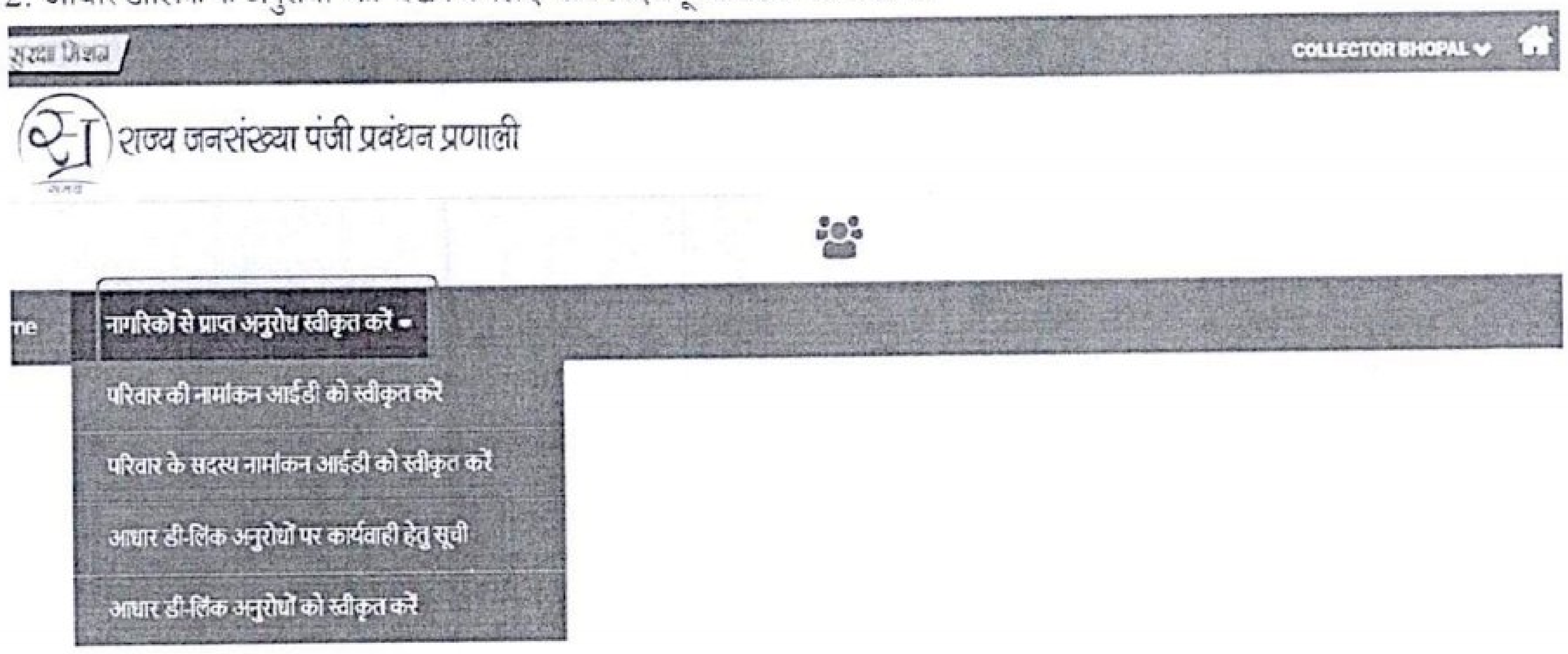


3.आधार डीलिंक के अनुरोधों को समग्र आईडी या अनुरोध आईडी अथवा संबंधित स्थानीय निकाय ,वार्ड/ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

MPS@DC

आधार डीलिंक अनुरोधों पर कार्यवाही करे

जिला : BHOPAL

समग्र आईडी से — या — अनुरोध आईडी से :

नगरीय निकाय : - Select -

पंचायत/जोन : - चुनें -

ग्राम/वार्ड : - चुनें -

दिनांक से : DD/MM/YYYY

दिनांक तक : DD/MM/YYYY

खोजे

| क्र.स. | अनुरोध आईडी | समग्र आईडी | आवेदक का नाम | अनुरोध दिनांक | वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम | स्थानीय निकाय का नाम | अनुरोध का प्रकार | अनुमोदनकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा | अनुमोदनकर्ता द्वारा कार्यवाही का विवरण | अनुशंसा दिनांक | लंबित (दिनों से) | देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | 3 | View |
| 2 | | | | | | | | | | | 1 | View |

आधार हटाने हेतु अनुरोध

4. संबंधित अनुरोध की जानकारी **View** बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती हैं।

आधार डीलिंक के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्यवाही करें

**1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी** +

| क्र.स. | शीर्षक | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी से पूर्व की जानकारी | आवेदक की ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

यहाँ क्लिक करें

**2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद की जानकारी** +

**3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी** +

Scanned with OKEN Scanner

आधार डीलिंक के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्यवाही करें

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी -

| क्र.स. | शीर्षक | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी से पूर्व की जानकारी | समग्र आई.डी. पर ई-केवाईसी सत्यापन के बाद जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | समग्र आई.डी. | | |
| 2 | नाम | | |
| 3 | जन्मतिथि | | |
| 4 | लिंग | | |
| 5 | ई-केवायसी दिनांक | | |
| 6 | पता | | |
| 7 | फ़ोटो | | |

यहाँ क्लिक करें

3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी -

| समग्र के अनुसार फ़ोटो | समग्र आईडी | समग्र के अनुसार नाम | समग्र के अनुसार जन्मतिथि | समग्र के अनुसार लिंग | मुखिया से सम्बन्ध | ई-केवायसी दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

यहाँ क्लिक करें

4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

## आधार डीलिंक के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्यवाही करें

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +
2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +
3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +
4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी -

| आधार नंबर | समग्र आईडी | समग्र के अनुसार नाम | समग्र के अनुसार जन्मतिथि | समग्र के अनुसार लिंग | समग्र के अनुसार पता |
|---|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी +
6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी +
7. स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण +
8. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें +

---

## आधार डीलिंक के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्यवाही करें

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +
2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +
3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +
4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +
5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी -

| अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी | अनुमोदनकर्ता का नाम | अनुमोदनकर्ता का मोबाईल नंबर | अनुमोदनकर्ता का पद | अनुमोदन की दिन |
|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी +
7. स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण +
8. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें +

Scanned with OKEN Scanner

MPS@DC

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +

3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी -

| समग्र आईडी | नाम | विभाग का नाम | सेवा का नाम | दिनांक |
|---|---|---|---|---|

यहाँ क्लिक करें

7. स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण +

8. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें +

---

1. आवेदक की समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के वाद की जानकारी +

3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के वाद योजना या सेवा की जानकारी +

7. स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण -

यहाँ क्लिक करें

यहाँ क्लिक करें

| क्र.स. | निकाय का नाम | निकाय द्वारा की गई अनुशंसा | निकाय द्वारा कार्यवाही का विवरण | अनुशंसा की दिनांक | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | View |

8. दस्तावेज़ अपलोड कर आगे की कार्यवाही करें +

5.स्थानीय निकाय द्वारा अनुरोध पर की गई जांच और कार्यवाही का विवरण View बटन पर क्लिक कर देखा जा सकता हैं।

Scanned with OKEN Scanner

2. समग्र आईडी पर गलत ई-केवाईसी से पूर्व और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद की जानकारी +

3. आवेदक की समग्र आईडी के अनुसार परिवार संबंधित जानकारी +

4. आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर लिंक संबंधित जानकारी +

5. अनुमोदनकर्ता की जानकारी +

6. ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद योजना या सेवा की जानकारी +

7. स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण +

8. दस्तावेज अपलोड कर आगे की कार्यवाही करे -

समग्र रिकॉर्ड के अनुसार त्रुटिपूर्ण लिंकिंग का कार्य पोर्टल पर कर्मचारी द्वारा दिनांक को किया गया था सम्बधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करना अपेक्षित है।

दस्तावेज अपलोड करें (कार्यवाही का विवरण नोट शीट)*
(केवल 1 MB तक की PDF फाइल ही अपलोड करें) Choose File

रिमार्क *

अनुरोध को स्वीकृत करे | अनुरोध को अस्वीकृत करे

6.कलेक्टर महोदय द्वारा अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत कर अंतिम सूची में आधार सत्यापन हेतु भेज दिया जाएगा।

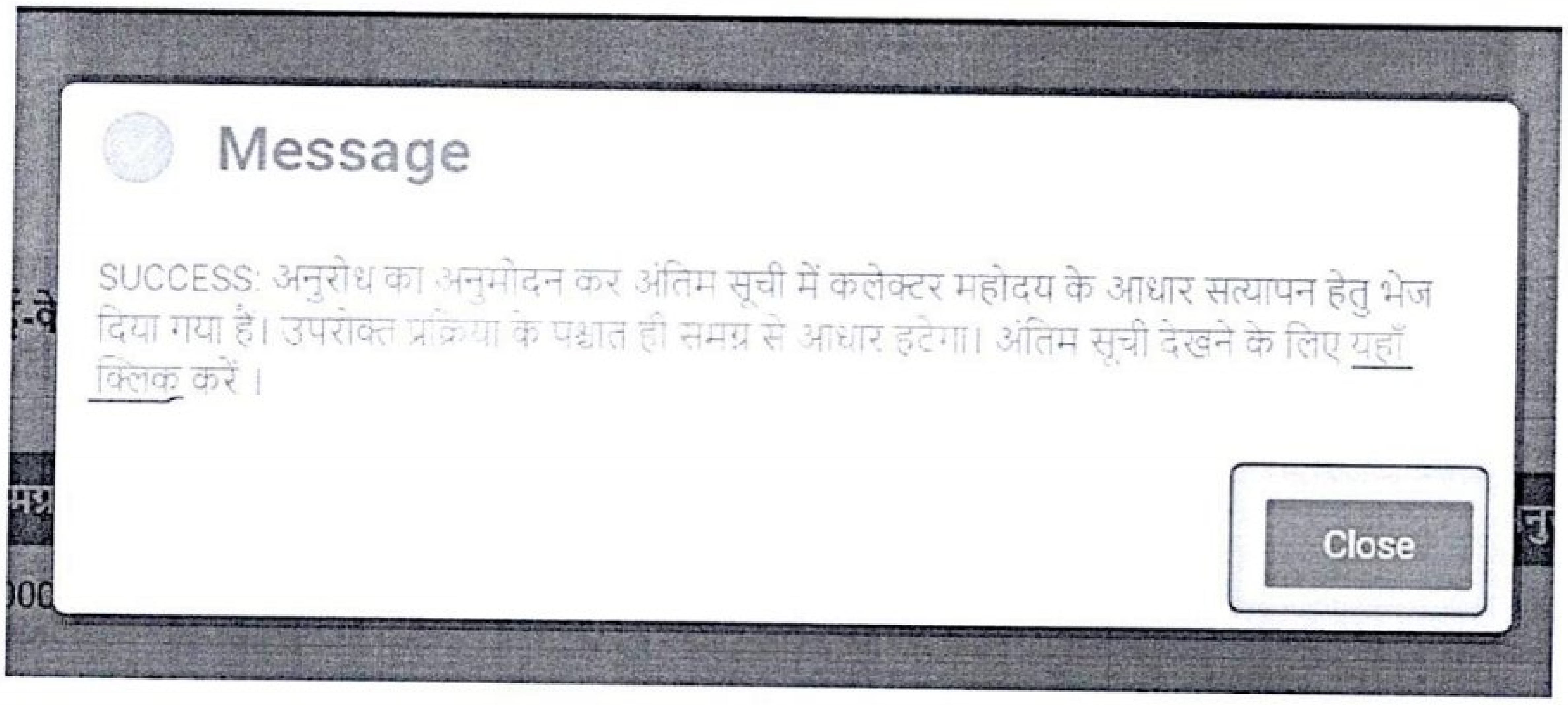


7.कलेक्टर महोदय द्वारा अंतिम सूची में अनुरोध समग्र आईडी या अनुरोध आईडी अथवा स्थानीय निकाय या वार्ड/ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता हैं।

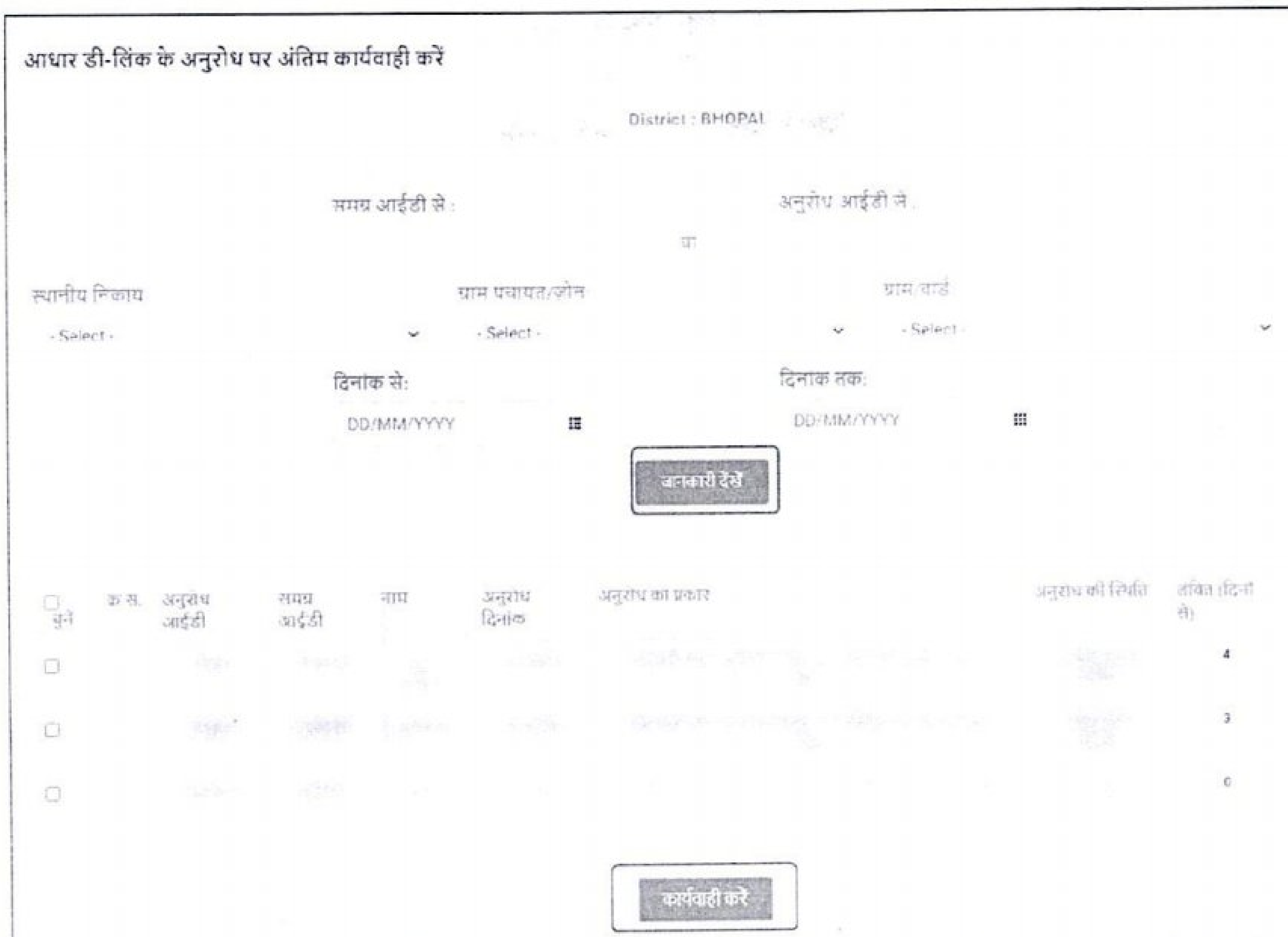


8.कलेक्टर महोदय द्वारा अंतिम सूची में अनुरोध एक या एक से ज्यादा स्वीकृत या अस्वीकृत किए जा सकते हैं। अनुरोध पर कार्यवाही करने पर कलेक्टर महोदय का आधार सत्यापन 2 प्रकार से किया जा सकता हैं।

- ओटीपी के माध्यम से
- बायोमेट्रिक के माध्ययम से

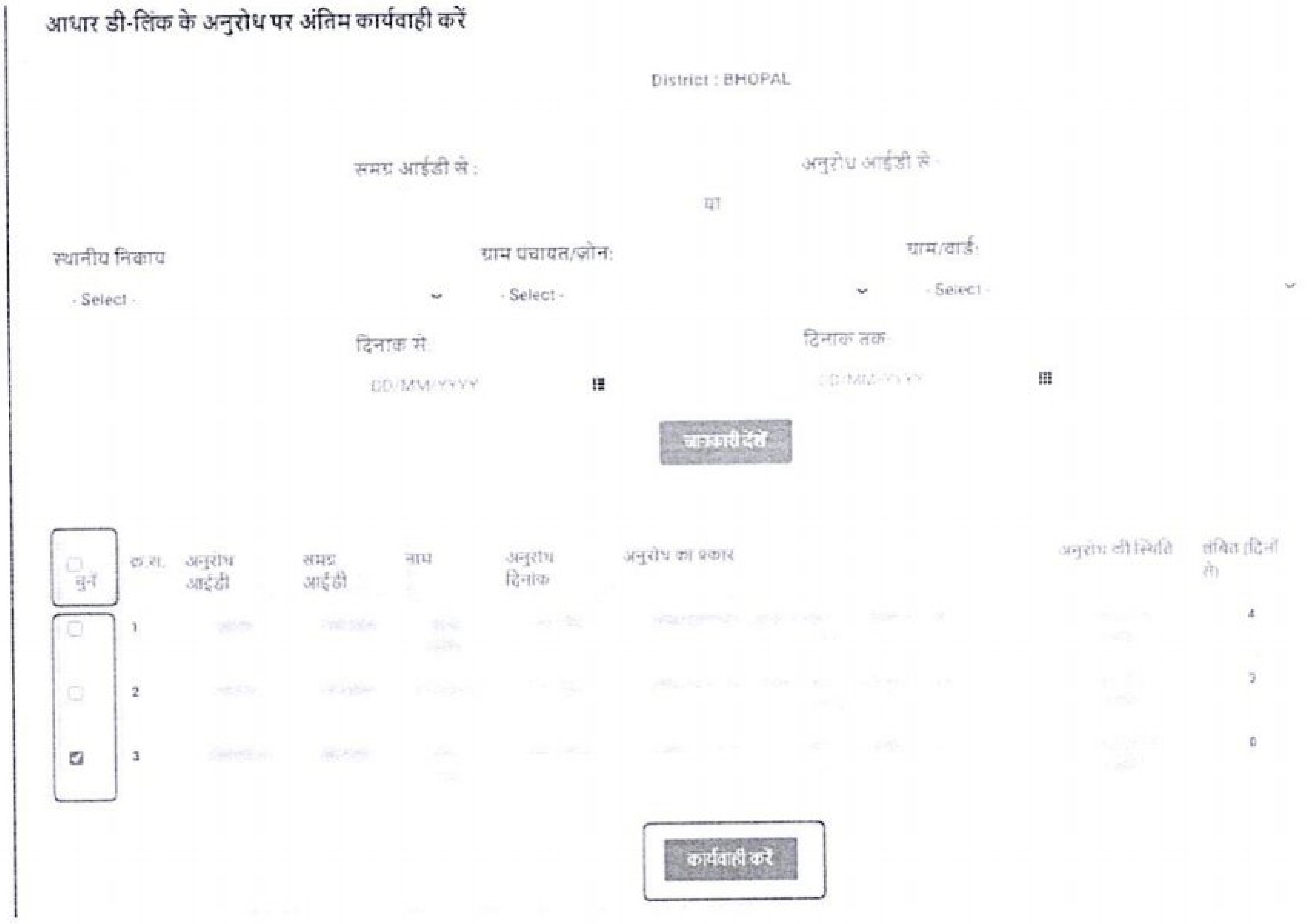


Scanned with OKEN Scanner

9.ओटीपी के माध्यम से विकल्प का चयन कर **"ओटीपी भेजे"** पर क्लिक करें।

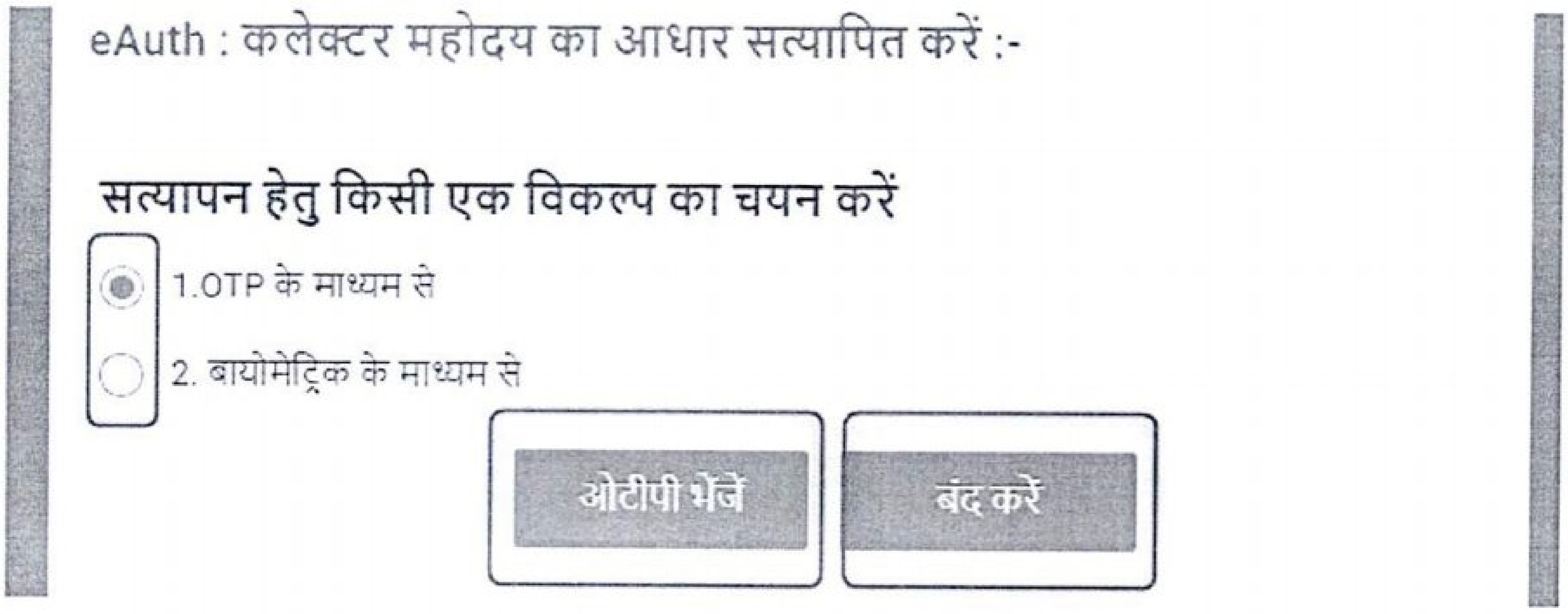


10.संबंधित कलेक्टर महोदय के मोबाईल पर ओटीपी भेज दिया जाएगा।

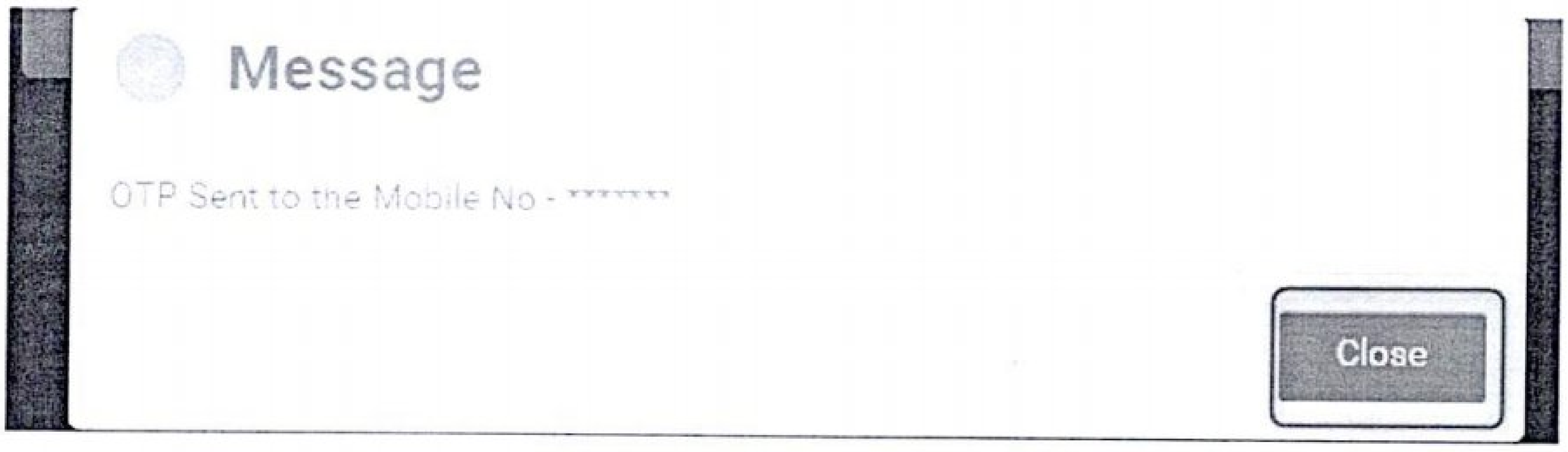


11.मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर **"सत्यापित करें"** क्लिक करने पर संबंधित समग्र आईडी से लिंक गलत आधार डीलिंक कर दिया जाएगा।

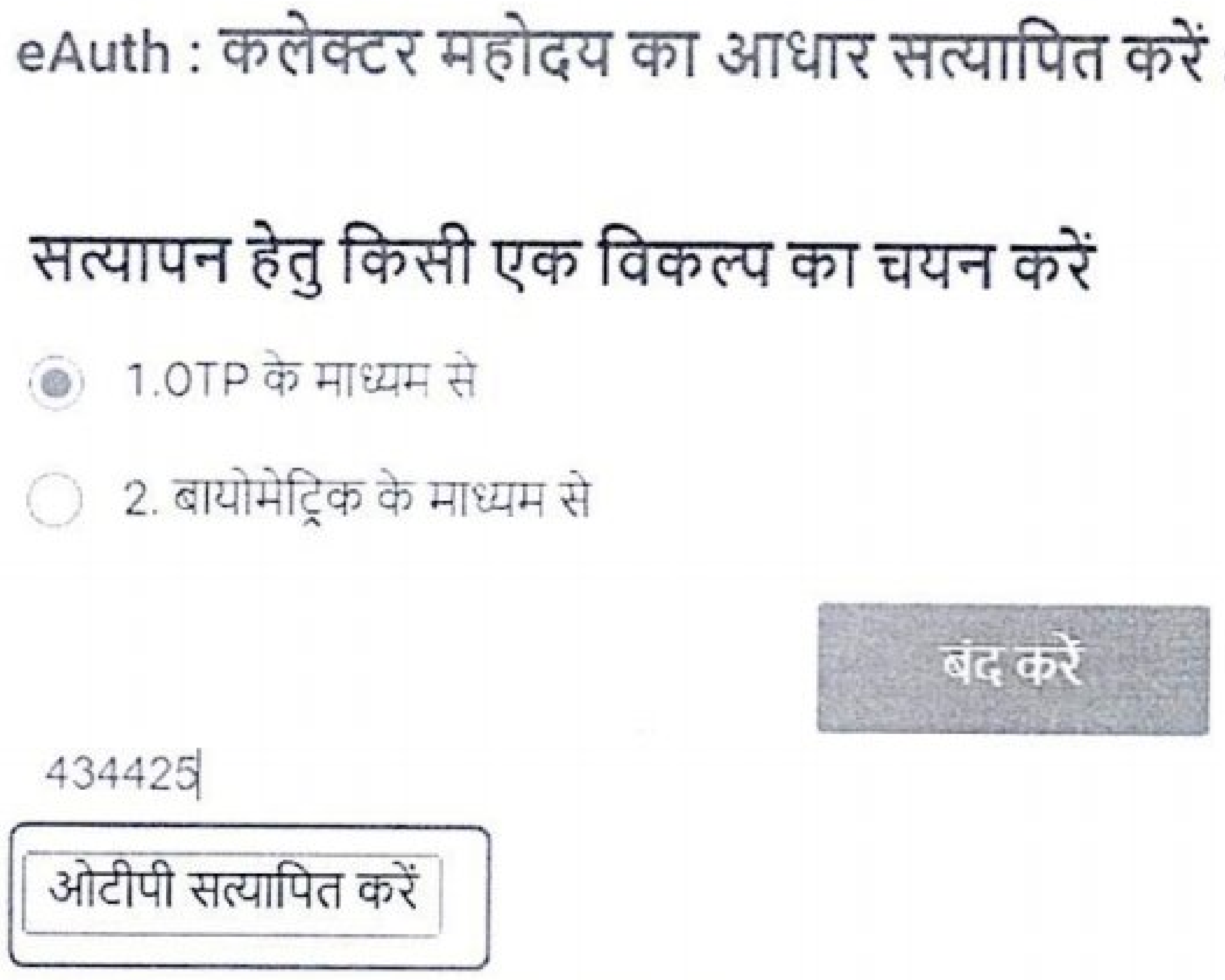


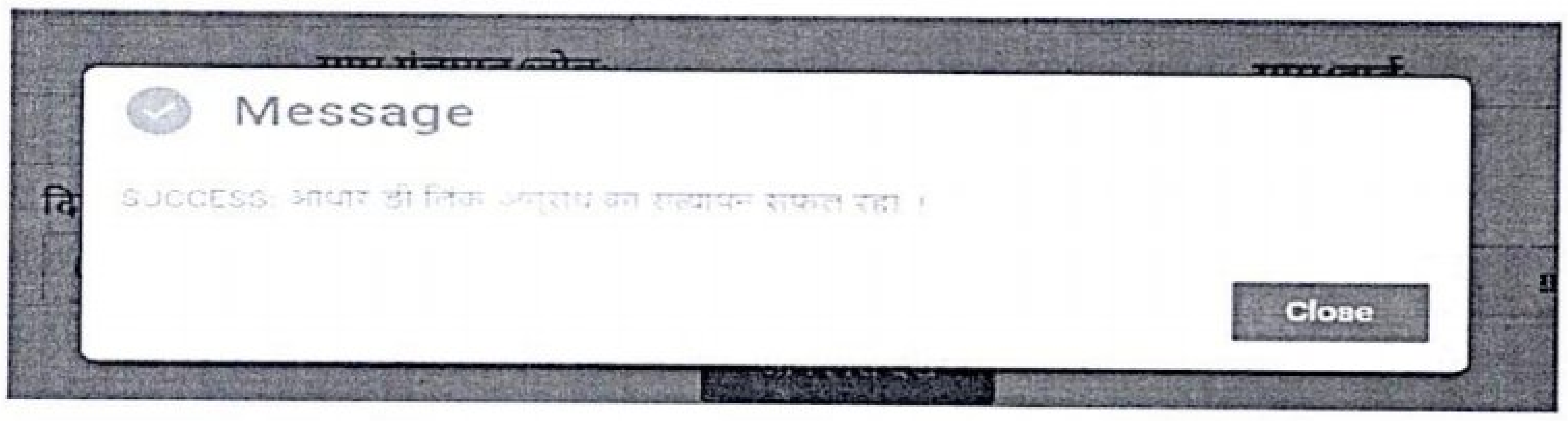

विकल्प 2 : आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध:

## आधार डी-लिंक

1 किसी एक विकल्प का चयन करें : 2

| आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटाने हेतु अनुरोध. | आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध. |
|---|---|

1. विकल्प 2 पर आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाए जाने का अनुरोध किया जा सकता हैं। बटन पर क्लिक करने पर निम्न जानकारी भरना होगा । अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी दर्ज करें जिस पर आवेदक का आधार त्रुटिपूर्ण लिंक हो गया है और आवेदक का वर्तमान मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा । कैपचा दर्ज कर ,ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा ।

## आधार डी-लिंक

अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी दर्ज करें जिस पर आवेदक का आधार त्रुटिपूर्ण लिंक हो गया है *

आवेदक का वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करें*

k 8 k b

कृपया captcha कोड दर्ज करें

ओटीपी भेजें

2.आवेदक के मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त होने के बाद **"ओटीपी सत्यापित करें"** बटन पर क्लिक करना होगा।

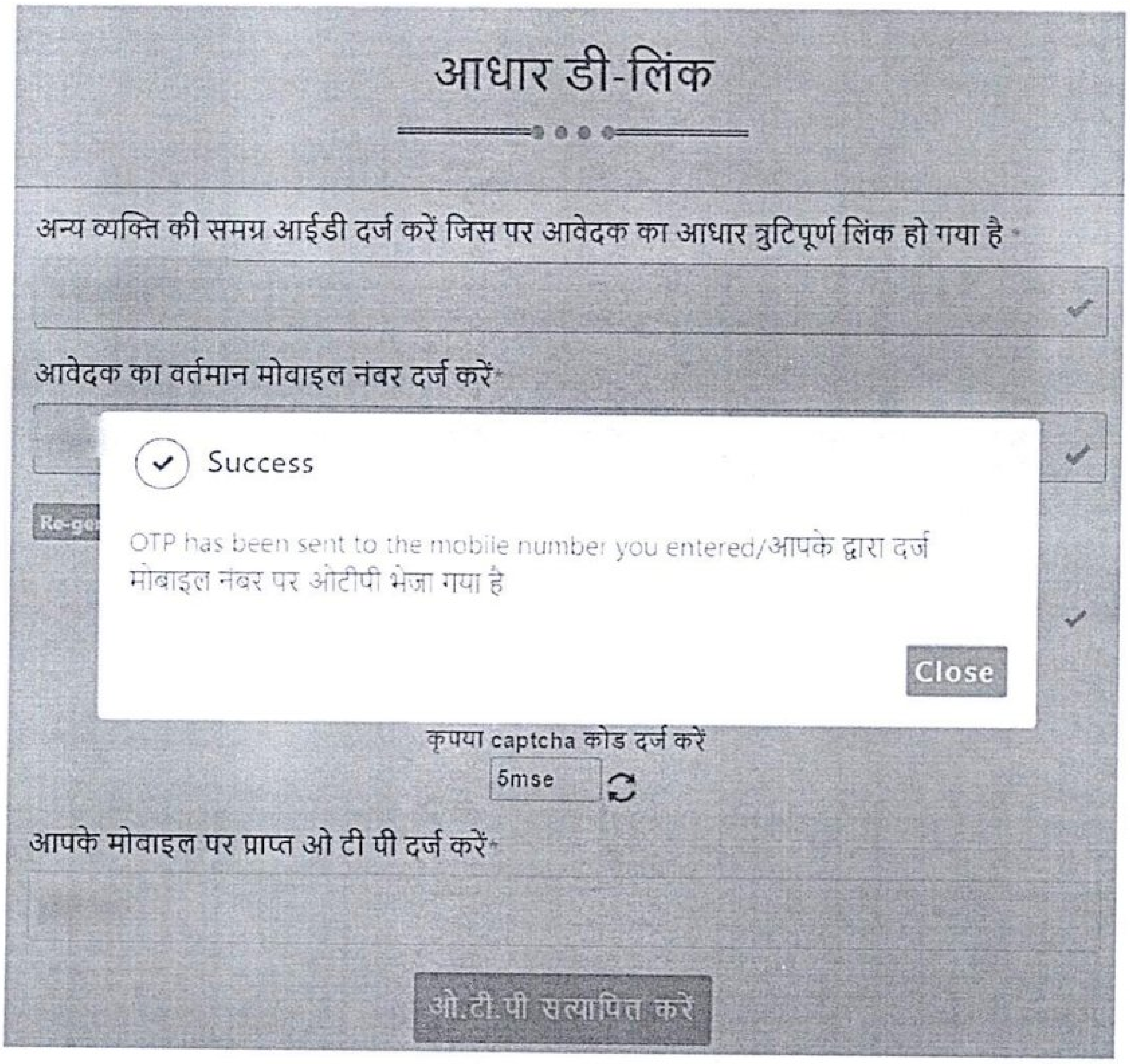


5. ओटीपी सत्यापित कर आवेदक को आधार की जानकारी भरना होगी।

Scanned with OKEN Scanner

# आधार डी-लिंक

महत्वपूर्ण सूचना : कृपया आधार नंबर प्रविष्ट एवं सत्यापन करते समय सावधानी बरतें. गलत या किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या सत्यापन करना आधार एक्ट, २०१६ के अध्याय ६ के अनुसार दंडनीय अपराध है| ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट, २०१६ के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हज़ार दोनों दंड का प्रावधान है.

☑ मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूं कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। में यह भी सहमति देता/देती हूँ की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूं।

**आवेदक अपना आधार नंबर दर्ज करें***

............ ✓

आधार सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन करें

◉ OTP के माध्यम से ○ बायोमेट्रिक के माध्यम से

ओटीपी का अनुरोध करें

6. आधार सत्यापन हेतु किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता हैं।
   - (iii) OTP के माध्यम से
   - (iv) बायोमेट्रिक के माध्यम से

(ii) OTP के माध्यम से: आधार से ओटीपी का अनुरोध कर, ओटीपी को सत्यापित किया जा सकता हैं।

Message

OTP Sent to the Mobile No - ·······

Close

Scanned with OKEN Scanner

7. ओटीपी सत्यापन करने पर निम्न जानकारी दिखाई जाएगी।

## आधार डी-लिंक

आवेदक के आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी :- +

| आधार के अनुसार फ़ोटो | आधार न. | आधार के अनुसार नाम | आधार के अनुसार जन्मतिथि | आधार के अनुसार लिंग | आधार के अनुसार पता |
|---|---|---|---|---|---|

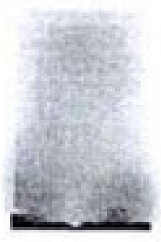

अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर गलत ई- केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी :- -

| परिवार आईडी | समग्र आईडी | पूर्व में समग्र के अनुसार सदस्य का नाम | पूर्व में समग्र के अनुसार सदस्य की जन्मतिथि | पूर्व में समग्र के अनुसार सदस्य का लिंग | पूर्व में मुखिया से सम्बन्ध |
|---|---|---|---|---|---|

अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी की परिवार संवंधित जानकारी :- -

## आधार डी-लिंक

आवेदक के आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी :- +

अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर गलत ई- केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी :- +

अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी की परिवार संवंधित जानकारी :- -

- ✔ मैं यह घोषणा करता/करती हूँ, कि उल्लेखित आधार नंबर मेरा/मेरी स्वयं का है मेरी जानकारी के अनुसार आधार नंबर पर अन्य व्यक्ति का समग्र आईडी जुड़ गया है जिसको हटाने हेतु मेरे द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।
- ✔ मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि त्रुटिवश मेरा आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से लिंक होने के पश्चात् मेरे द्वारा मेरी जानकारी के अनुसार उस समग्र आईडी से किसी योजना का लाभ अथवा सेवा नहीं ली गई है। मुझे यह भी ज्ञात है की यदि त्रुटिपूर्ण EKYC होने के पश्चात कोई योजना का लाभ अथवा सेवा ली गई है तो वह संबंधित विभाग द्वारा निष्कासित की जा सकती है।

[अनुरोध दर्ज करें]

**7.** आवेदक को जानकारी सत्यापित कर चेक बॉक्स पर क्लिक कर अनुरोध दर्ज करना होगा। अनुरोध की पावती हेतु निम्न मैसेज प्रदर्शित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

MPS©DC

जानकारी :-

**Success**

SUCCESS: Aadhaar De-link request has been saved successfully.Your request Id is / आधार डी-लिंक अनुरोध सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी अनुरोध आईडी है। पावती प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ें।

Close

# समग्र पोर्टल

## समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्यप्रदेश शासन

### आधार डीलिंक अनुरोध पावती

| | |
|---|---|
| आवेदक का आधार न. : | अनुरोध आईडी : |
| अनुरोध का प्रकार : | अनुरोध दिनाक : |
| आवेदक का नाम : | |
| अनुरोध भेजा गया : | जिला : |
| अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी: | प्रिंट दिनांक : |

प्रिंट करे | होम पेज

Scanned with OKEN Scanner

# B.स्थानीय निकाय हेतु डी-लिंक की प्रक्रिया:

**1.** आधार डी-लिंक के अनुरोध को https://spr.samagra.gov.in पर संबंधित स्थानीय निकाय के लॉगिन पर देखा जा सकता हैं।

**2.** संबंधित निकाय द्वारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता हैं। स्थानीय निकाय डेशबोर्ड पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा।

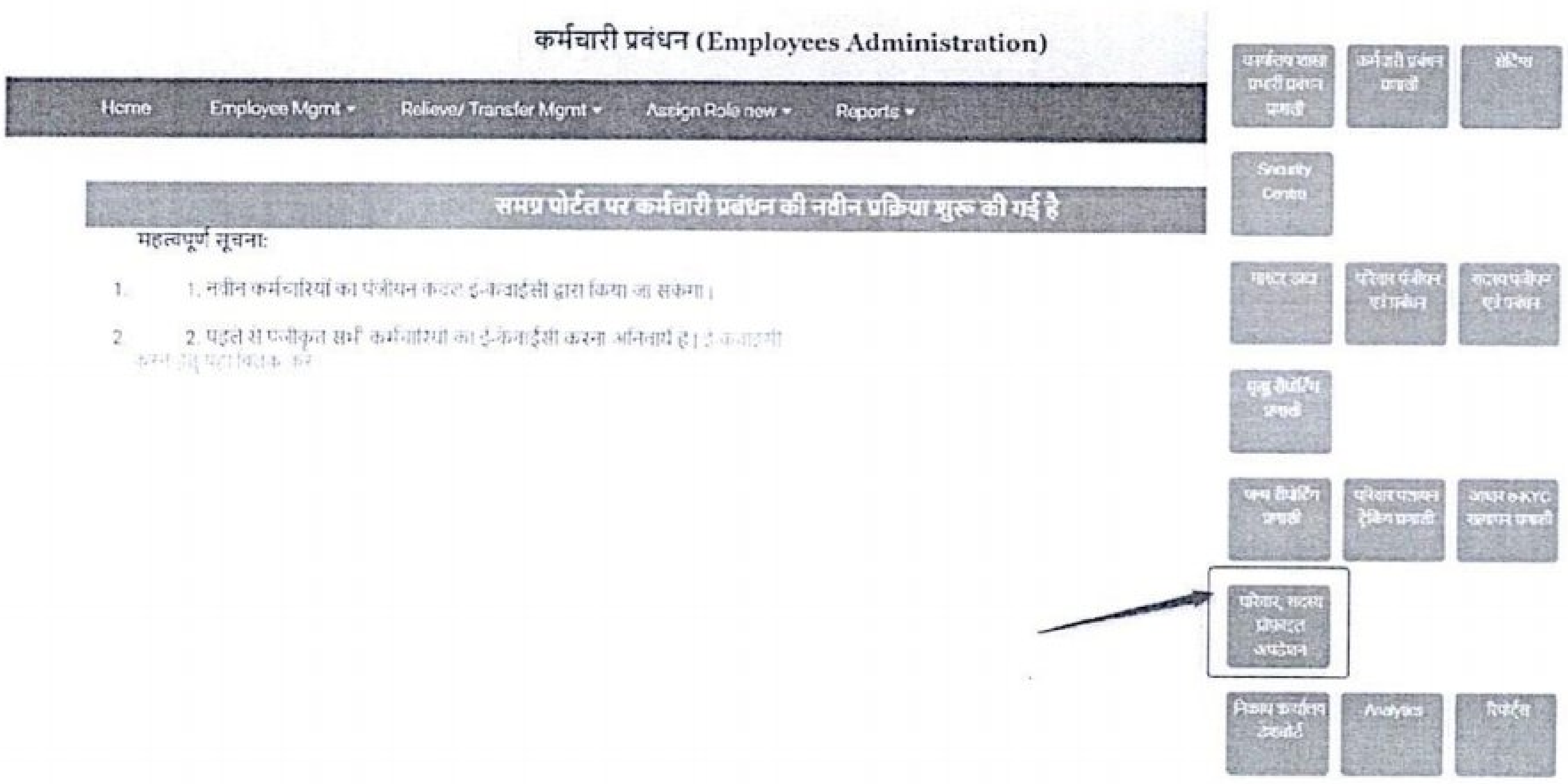


3. **परिवार सदस्य प्रोफाइल अपडेट** पर जाने पर नीचे दिए गए मेनू पर जाना होगा और **आधार डी-लिंक हेतु अनुरोधों की अनुशंसा** पर क्लिक कर अनुरोधों को देखा जा सकता हैं।

MPS@DC

समग्र

**Request For Change of details - in Samagra Population Register**

Home | अनुरोध स्वीकृत करें ▾ | अनुरोध निरस्त करें ▾ | अनुरोध खोजें ▾ | नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें ▾ | नागरिकों से प्राप्त अनुरोध निरस्त करें ▾ | रिपोर्ट्स ▾
अलर्ट्स ▾ | सबसे पुराने अनुरोधों की सूची ▾ | सदस्य की प्रोफ़ाइल अपडेट करें ▾

अनुरोध स्वीकृत करें | अनुरोध निरस्त करें | अनुरोध खोजें | **नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें** | नागरिकों से प्राप्त अनुरोध निरस्त करें | रिपोर्ट्स | अलर्ट्स | सबसे पुराने अनुरोधों की सूची
सदस्य की प्रोफ़ाइल अपडेट करें

1. सदस्यों के नाम में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
2. सदस्यों के जन्म दिनांक में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
3. सदस्यों के जेंडर में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
4. परिवार के पलायन के अनुरोध को स्वीकृत करें
5. डुप्लिकेट परिवार को चिन्हित करने के अनुरोध को स्वीकृत करें
6. डुप्लिकेट सदस्य को चिन्हित करने के अनुरोध को स्वीकृत करें
7. सदस्य की नामांकन आईडी को स्वीकृत करें (New)
8. परिवार की नामांकन आईडी को स्वीकृत करें
9. सदस्यों के [illegible] में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
10. सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
11. सदस्यों के मूल निवासी प्रमाण पत्र में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
12. सदस्यों के आय प्रमाण पत्र में संशोधन के अनुरोधों को स्वीकृत करें
13. आधार डीलिंक हेतु अनुरोधों की अनुशंसा करें

4. समग्र आईडी या अनुरोध आईडी दर्ज कर संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता हैं।

आधार डीलिंक के लिए अनुरोध देखें

Nagar Nigam, BHOPAL

समग्र आईडी से : | या | अनुरोध आईडी से :

पंचायत / ज़ोन: - Select -
ग्राम / वार्ड: - चुनें -
दिनांक से: DD/MM/YYYY
दिनांक तक: DD/MM/YYYY

अनुरोध देखे

| क्र.स | अनुरोध आईडी | अनुरोध का प्रकार | समग्र आईडी | आवेदक का नाम | अनुरोध दिनांक | वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम | लंबित (दिनों में) | देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध | | | | | 5 | View |

5. संबंधित अनुरोध की जानकारी **View** बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी से पूर्व और आवेदक की ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी

| क्र.स. | शीर्षक | अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी | आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | समग्र आईडी | | |
| 2 | नाम | | |
| 3 | जन्मतिथि | | |
| 4 | लिंग | | |
| 5 | ई-केवायसी दिनांक | | |
| 6 | पता | | |
| 7 | फ़ोटो | | |

अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी की परिवार संबंधित जानकारी

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

**अनुमोदनकर्ता की जानकारी**

| अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी | अनुमोदनकर्ता का नाम | अनुमोदनकर्ता का मोबाईल नंबर | अनुमोदनकर्ता का पद | अनुमोदन की दिनांक |
|---|---|---|---|---|

ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद लिए गए योजना का लाभ या सेवा की जानकारी

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

6. स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित अनुरोध की जानकारी का निरीक्षण कर नीचे दिए चेक बॉक्स पर क्लिक कर अनुमोदन अथवा अस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा सकती हैं।

दस्तावेज अपलोड करे (त्रुटिपूर्ण सत्यापन हेतु उत्तरदायी कर्मचारी पर कार्यवाही का विवरण / जाच सम्बन्धी दस्तावेज अथवा नोट शीट)* — Choose File No file chosen

कार्यवाही का विवरण *

☑ मेरे द्वारा ये प्रमाणित कर लिया गया है कि आवेदक का आधार अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी पर त्रुटिवश लिंक है जिसको हटाने हेतु आवेदक से प्राप्त अनुरोध का निरीक्षण कर जाँच उपरांत अनुशंसा की जाती है।

☑ मेरे द्वारा आवेदक को यह भी सूचित कर दिया गया है कि यदि आवेदक द्वारा त्रुटिवश अन्य व्यक्ति की समग्र पर eKYC होने के पश्चात् कोई योजना अथवा सेवा का लाभ लिया गया है तो वह सम्बंधित विभाग द्वारा निष्कासित किया जा सकता है

[अनुमोदन हेतु अनुशंसा] [अस्वीकृति हेतु अनुशंसा]

7. स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन अथवा अस्वीकृति हेतु अनुशंसा कर संबंधित कलेक्टर महोदय को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए भेज दिया जावेगा।

**Message**

SUCCESS: आधार डी-लिंक अनुरोध अनुशंसा उपरांत सफलतापूर्वक सम्बंधित कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है..!

[Close]

Scanned with OKEN Scanner

# C.कलेक्टर महोदय की लॉगिन आईडी द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया:

**1.** आधार डीलिंक के अनुरोध को https://spr.samagra.gov.in पर संबंधित कलेक्टर महोदय के लॉगिन पर देखा जा सकता हैं। लॉगिन करने के लिए यूजर का नाम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

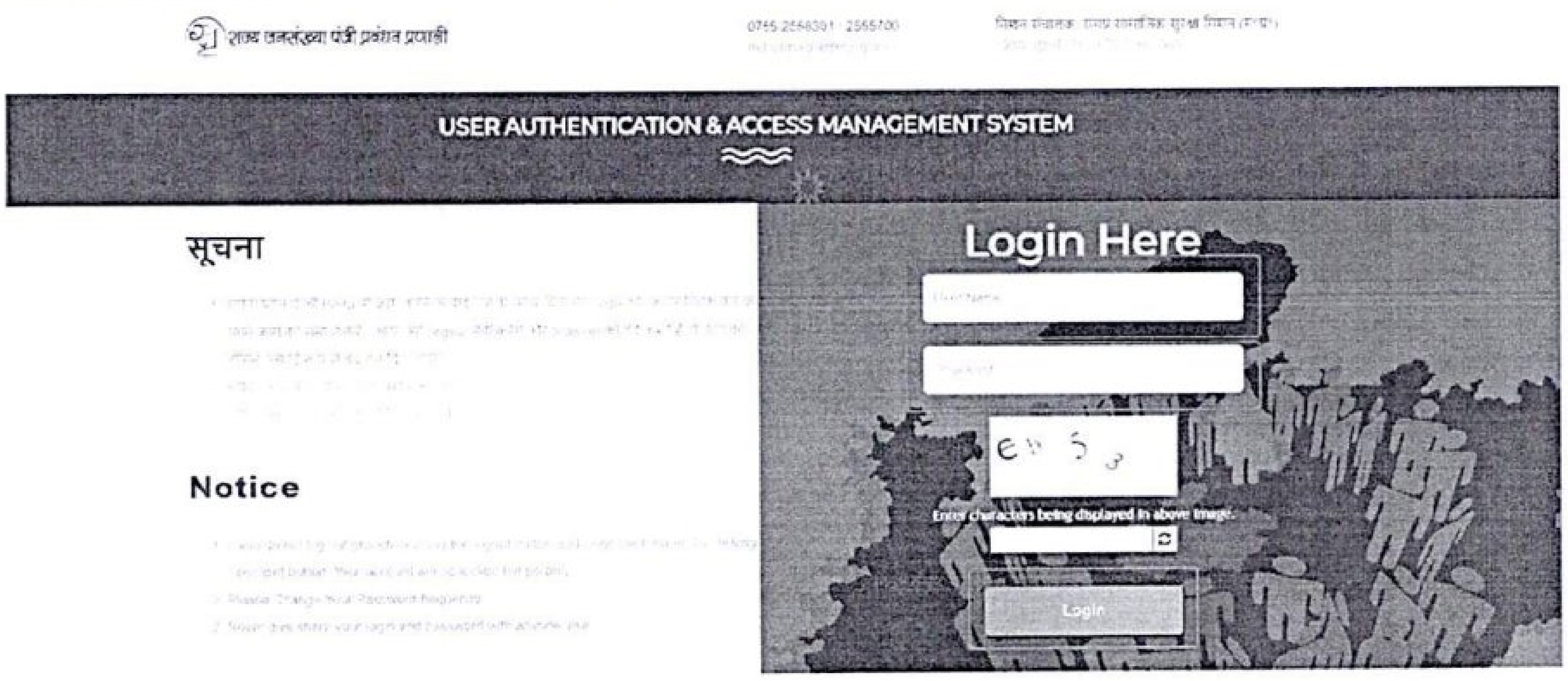


2. आधार डीलिंक के अनुरोधों को देखने के लिए नीचे दिए मेनू पर क्लिक करना होगा।

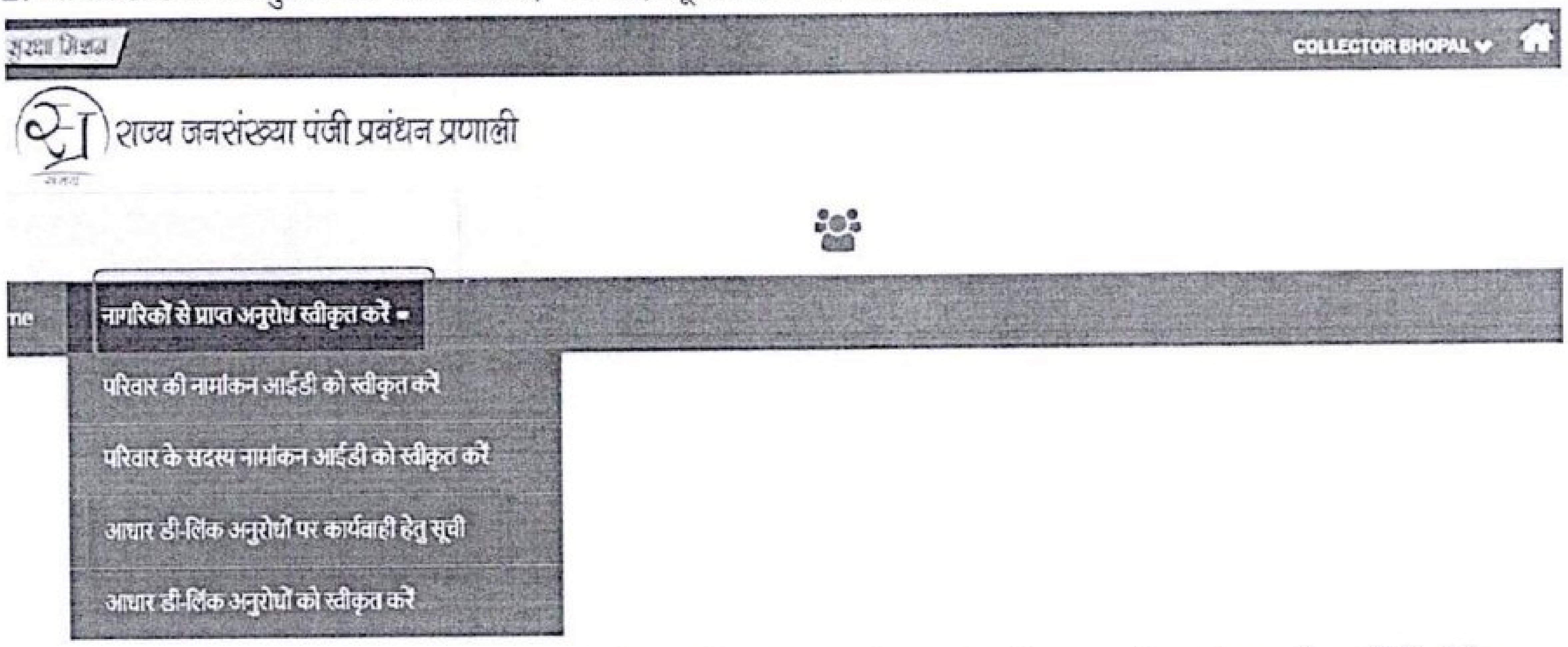


3.आधार डीलिंक के अनुरोधों को समग्र आईडी या अनुरोध आईडी अथवा संबंधित स्थानीय निकाय ,वार्ड/ग्राम पंचायत के अनुरोधों को देखा जा सकता हैं।

Scanned with OKEN Scanner

आधार डीलिंक अनुरोधों पर कार्यवाही करे

जिला : BHOPAL

समग्र आईडी से : या अनुरोध आईडी से :

नगरीय निकाय : - Select -
पंचायत/ज़ोन : - चुनें -
ग्राम/वार्ड : - चुनें -

दिनांक से : DD/MM/YYYY
दिनांक तक : DD/MM/YYYY

खोजें

| क्र.स. | अनुरोध आईडी | अनुरोध का प्रकार | समग्र आईडी | आवेदक का नाम | अनुरोध दिनांक | वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम | स्थानीय निकाय का नाम | अनुमोदनकर्ता द्वारा की गई अनुशंसा | अनुमोदनकर्ता द्वारा कार्यवाही का विवरण | अनुशंसा दिनांक | लंबित (दिनों से) | देखें |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | View |

4. संबंधित अनुरोध की जानकारी View बटन पर क्लिक कर देखी जा सकती हैं।

अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी से पूर्व और आवेदक की ई-केवाईसी अनुरोध द्वारा प्राप्त जानकारी +

| क्र.स. | शीर्षक | अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी पर ई-केवाईसी से पूर्व उपलब्ध जानकारी | आधार ई-केवाईसी से प्राप्त जानकारी |
|---|---|---|---|
| 1 | समग्र आईडी | | |
| 2 | नाम | | |
| 3 | जन्मतिथि | | |
| 4 | लिंग | | |
| 5 | ई-केवायसी दिनांक | | |
| 6 | पता | | |
| 7 | फ़ोटो | | |

अन्य व्यक्ति के समग्र आईडी की परिवार संबंधित जानकारी -

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अनुमोदनकर्ता की जानकारी -

| अनुमोदनकर्ता की यूजर आईडी | अनुमोदनकर्ता का नाम | अनुमोदनकर्ता का मोबाईल नंबर | अनुमोदनकर्ता का पद | अनुमोदन की दिनांक |
|---|---|---|---|---|

ई-केवाईसी अनुमोदन के बाद लिए गए योजना का लाभ या सेवा की जानकारी -

कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

| क्र.स. | निकाय का नाम | निकाय द्वारा की गई अनुशंसा | निकाय द्वारा कार्यवाही का विवरण | अनुशंसा की दिनांक | दस्तावेज देखे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | View |

समग्र रिकॉर्ड के अनुसार त्रुटिपूर्ण लिंकिंग का कार्य पोर्टल पर कर्मचारी द्वारा दिनांक को किया गया था ,सम्बंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही करना अपेक्षित है।

दस्तावेज अपलोड करें (कार्यवाही का विवरण/नोट शीट)*
(केवल 1 MB तक की PDF फाइल ही अपलोड करें)

Choose File No file chosen

रिमार्क: *

अनुरोध को स्वीकृत करें | अनुरोध को अस्वीकृत करें

6.कलेक्टर महोदय द्वारा अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकृत कर अंतिम सूची में आधार सत्यापन हेतु भेज दिया जाएगा।

आधार डीलिंक के लिए अनुरोध की जानकारी देखें एवं कार्यवाही करें

Message

SUCCESS: अनुरोध का अनुमोदन कर अंतिम सूची में कलेक्टर महोदय के आधार सत्यापन हेतु भेज दिया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात ही समग्र से आधार हटेगा। अंतिम सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

Close

Home/होम Home/होम नागरिकों से प्राप्त अनुरोध स्वीकृत करें ▾

- Approve Family Enrollment ID/परिवार की नामांकन आईडी को स्वीकृत करें
- Approve Family Member Enrollment ID/परिवार के सदस्य नामांकन आईडी को स्वीकृत करें
- Add Aadhaar D-Link Request to Final List/ आधार डी-लिंक के अनुरोध को अंतिम सूची में जोड़ें
- Approve Final List of Request for Aadhaar D-Link/आधार डी-लिंक के अनुरोध की अंतिम सूची को स्वीकृत करें

Scanned with OKEN Scanner

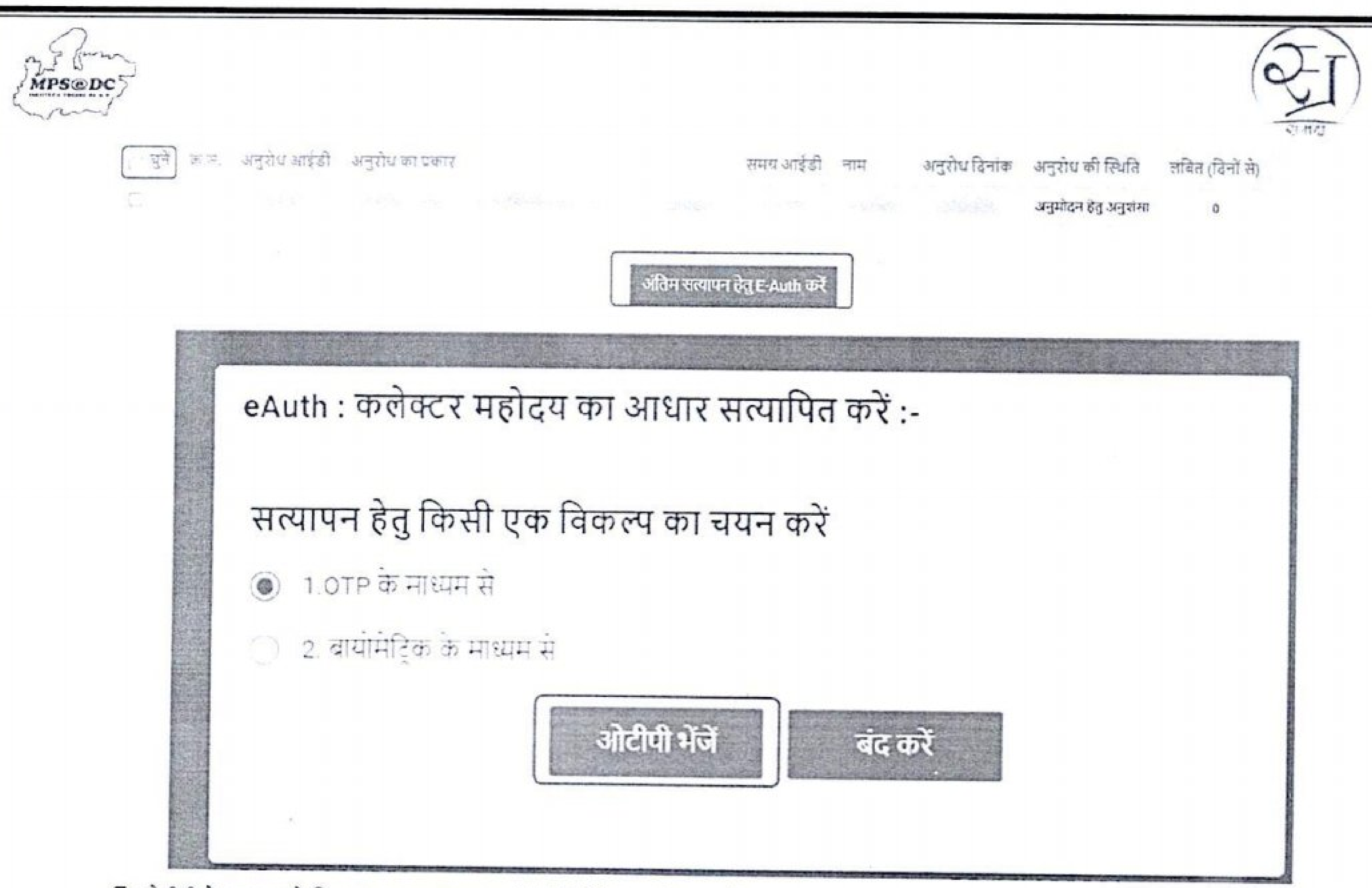


7.ओटीपी के माध्यम से विकल्प का चयन कर **"ओटीपी भेजे"** पर क्लिक करें।

8.मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर **"सत्यापित करें"** क्लिक करने पर संबंधित समग्र आईडी से लिंक गलत आधार डीलिंक कर दिया जाएगा।

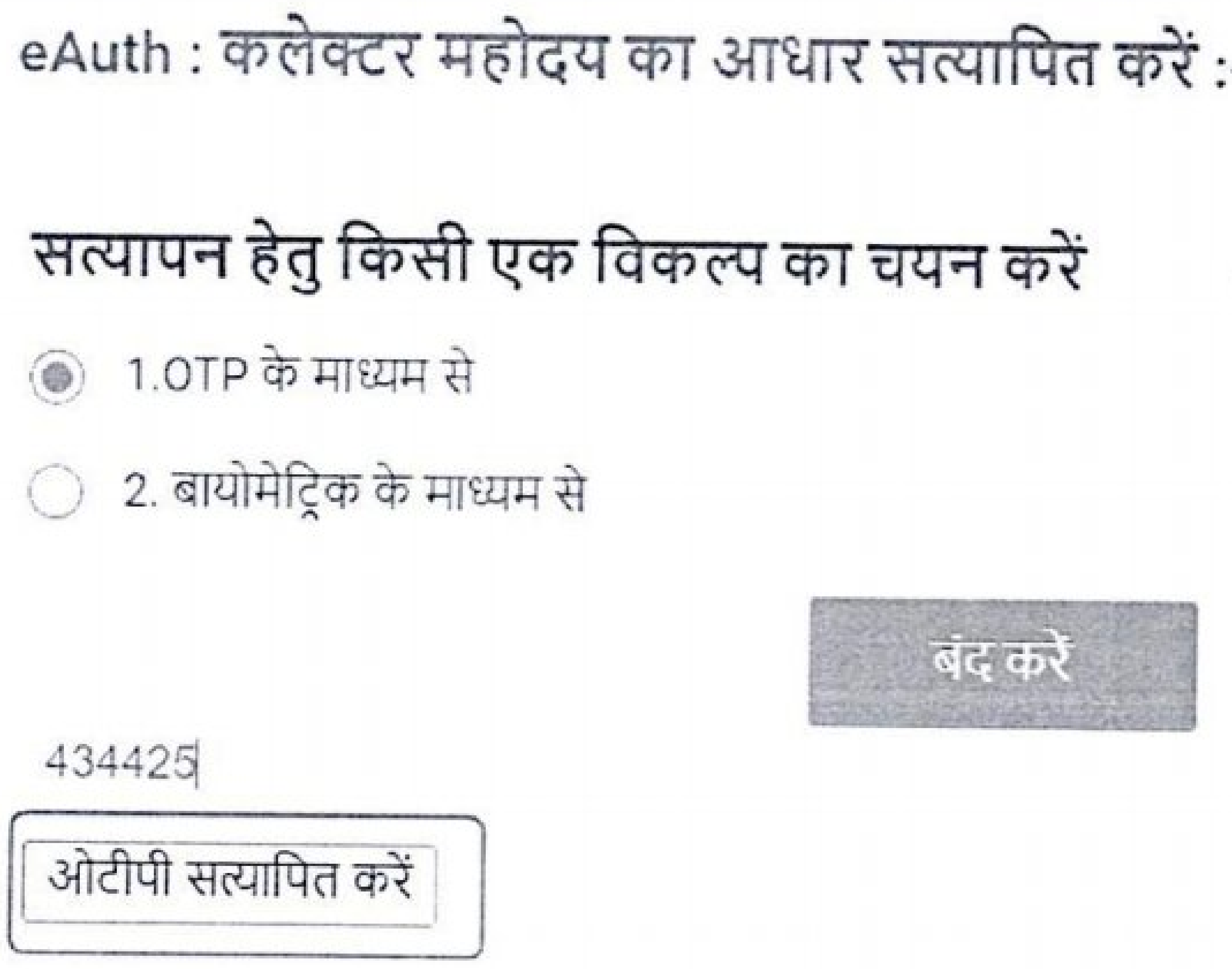


Scanned with OKEN Scanner

## Message

SUCCESS: आधार डी-लिंक अनुरोध का सत्यापन सफल रहा ।

Close

Scanned with OKEN Scanner